# राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975

*[अधिसूचना सं. एफ.4(10) राजस्व/उप./75, दिनांक 08.08.1975, राजस्थान राजपत्र असाधारण भाग IV-ग (I), दिनांक 08.08.1975]*

निम्नलिखित के द्वारा यथा संशोधित :–

1. अधिसूचना सं. एफ. 4(8) राजस्व/उपनि./76, दिनांक 13.03.1976, राज. राज-पत्र असाधारण भाग IV (ग), दिनांक 13.03.1976 में प्रकाशित;
2. अधिसूचना सं. एफ. 4(10) राजस्व/उपनि./76, दिनांक 19.03.1976, राज. राज-पत्र भाग IV (ग), दिनांक 25.03.1976 में प्रकाशित;
3. अधिसूचना सं. एफ. 3(109) राजस्व/उपनि./70 III, दिनांक 06.07.1976, राज. राज-पत्र भाग IV (ग), दिनांक 15.07.1976 में प्रकाशित;
4. अधिसूचना सं. एफ. 19(27) राजस्व/उपनि./75, दिनांक 15.07.1976, राज. राज-पत्र भाग IV (ग), दिनांक 29.07.1976 में प्रकाशित;
5. अधिसूचना सं. एफ. 4(19) राजस्व/उपनि./76, दिनांक 27.06.1976, राज. राज-पत्र भाग IV (ग), दिनांक 02.09.1976 में प्रकाशित;
6. अधिसूचना सं. एफ. 4(8) राजस्व/उपनि./76, दिनांक 08.10.1976, राज. राज-पत्र भाग IV (ग), दिनांक 21.10.1976 में प्रकाशित;
7. अधिसूचना सं. एफ. 4(10) राजस्व/उपनि./75, दिनांक 30.01.1978, राज. राज-पत्र असाधारण भाग IV (ग), दिनांक 25.05.1978 में प्रकाशित;
8. अधिसूचना सं. एफ. 4(8) राजस्व/उपनि./76, दिनांक 20.09.1978, राज. राज-पत्र भाग IV (ग), दिनांक 20.09.1978 में प्रकाशित;
9. अधिसूचना सं. एफ. 4(5) राजस्व/उपनि./77, दिनांक 18.11.1978, राज. राज-पत्र भाग IV (ग), दिनांक 21.12.1978 में प्रकाशित;
10. अधिसूचना सं. एफ. 4(10) राजस्व/उपनि./75, दिनांक 20.02.1980, राज. राज-पत्र असाधारण भाग IV (ग), दिनांक 20.02.1980 में प्रकाशित;
11. अधिसूचना सं. एफ. 4(5) राजस्व/उपनि./77, दिनांक 19.03.1980, राज. राज-पत्र असाधारण भाग IV (ग), दिनांक 22.03.1980 में प्रकाशित;
12. अधिसूचना सं. एफ. 4(10) राजस्व/उपनि./75, दिनांक 29.12.1980, राज. राज-पत्र भाग IV (ग), दिनांक 08.01.1981 में प्रकाशित;
13. अधिसूचना सं. एफ. 4(10) राजस्व/उपनि./75 दिनांक 24.01.1981, राज. राज-पत्र भाग IV (ग) दिनांक 05.02.1981 में प्रकाशित;
14. अधिसूचना सं. एफ. 18(3) राजस्व/उपनि./77, दिनांक 07.02.1981, राज. राज-पत्र भाग IV (ग), दिनांक 12.02.1981 में प्रकाशित;
15. अधिसूचना सं. एफ. 4(10) राजस्व/उपनि./75, दिनांक 04.01.1981, राज. राज-पत्र भाग IV (ग), दिनांक 09.04.1981 में प्रकाशित;
16. अधिसूचना सं. एफ. 4(16) राजस्व/उपनि./79, दिनांक 25.06.1981, राज. राज-पत्र भाग IV (ग), दिनांक 02.07.1981 में प्रकाशित;
17. अधिसूचना सं. एफ. 4(10) राजस्व/उपनि./75, दिनांक 20.08.1981, राज. राज-पत्र असाधारण भाग IV (ग), दिनांक 20.08.1981 में प्रकाशित;

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 (1954 का राजस्थान अधिनियम सं. 27) की धारा 28 सपठित धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है; नामार्थ :–

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार एवं प्रारंभ – (1) इन नियमों को राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 कहा जा सकेगा।

(2) ये संपूर्ण इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में लागू होंगे।

(3) ये शासकीय राज-पत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. निर्वचन – जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इन नियमों में –

(i) **''अधिनियम''** से राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 (1954 का राजस्थान अधिनियम सं. 27) अभिप्रेत है;

(ii) **''सलाहकार समिति''** से नियम 13 के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;

(iii) **''कृषि स्नातक''** से ऐसा भूमिहीन व्यक्ति अभिप्रेत है, जो [1][भारत में के किसी विश्वविद्यालय] से कृषि या कृषि अभियांत्रिकी में स्नातक या स्नाकोत्तर हो और जो बेरोजगार हो;

(iv) **''आवंटन प्राधिकारी''** से अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (i) में यथा परिभाषित कलक्टर अभिप्रेत है;

[2][(iv-क) **''एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के हिताधिकारी''** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसकी पहचान इस रूप में की गयी है कि वह जीवननिर्वाह के नीचे का है और जिसे ग्रामीण विकास कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है तथा जिसे कलक्टर या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा इस रूप में प्रमाणित किया गया है;]

(v) **''भाखड़ा भूमिहीन व्यक्ति''** से राजस्थान उपनिवेशन (भाखड़ा परियोजना में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1955 के नियम 2 के उप-नियम (vi) में यथा परिभाषित ऐसा भूमिहीन व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे उन नियमों के अधीन भूमि के आवंटन के लिए पात्र घोषित किया गया था, लेकिन जिसे भाखड़ा परियोजना क्षेत्र में भूमि आवंटित नहीं की जा सकी थी;

(vi) **''अधिकतम सीमा क्षेत्र''** का वही अर्थ होगा, जो राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 की धारा 2 के खण्ड (घ) में उस अभिव्यक्ति को समनुदेशित किया गया है;

(vii) **''उपनिवेशन आयुक्त''** से राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है तथा इसमें उपनिवेशन आयुक्त की शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों की पालना करने के लिए नियुक्त कोई अन्य अधिकारी भी सम्मिलित होगा;

---

1. अधिसूचना सं. एफ. 3(109) राजस्व/उपनि./III, दिनांक 06.07.1976 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं. एफ. 3(109) राजस्व/उपनि./III, दिनांक 06.07.1976 द्वारा प्रतिस्थापित।

(viii) "उपनिवेशन तहसील" एवं "उपनिवेशन तहसीलदार" से क्रमशः राज्य सरकार द्वारा इस रूप में घोषित क्षेत्र एवं उस क्षेत्र के लिए इस रूप नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत होगा और जहां उपनिवेशन संक्रियाएं समाप्त हो चुकी हैं, वहां इनमें क्रमशः सम्बन्धित राजस्व तहसील एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम सं. 15) की धारा 20 के अधीन उसके सम्बन्ध नियुक्त तहसीलदार सम्मिलित होंगे;

(ix) "कमाण्ड भूमि" तथा "अनकमाण्ड भूमि" से इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के किसी क्षेत्र के सन्दर्भ में राज्य सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा अपने नवीनतम प्रमाणित कमाण्ड तथा अनकमाण्ड विवरण में क्रमशः इस रूप में दर्शायी गई भूमि अभिप्रेत है;

[1][(ix-क) "भूतपूर्व सैनिक" से कमीशन्ड अधिकारी से भिन्न ऐसा भूमिहीन व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे भारत की सशक्त सेना में कम से कम पांच वर्ष की सेवा करने के पश्चात् विमुक्त कर दिया गया हो, लेकिन इसमें ऐसा व्यक्ति सम्मिलित नहीं होगा, जिसे अनुशासनिक आधारों पर विमुक्त किया गया हो;]

(x) "प्ररूप" से इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

[2][(x-क) "सूचकांक मूल्य" से राजस्थान मुद्रांक नियम, 1955 के प्रावधानों के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा समय-समय पर उस क्षेत्र, जिसमें आवंटित की जाने वाली भूमि स्थित है, की समान मृदा वर्ग की भूमि के लिए निर्धारित भूमि का बाजार मूल्य अभिप्रेत है।

[3][(x-ख) "एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम" से ऐसा कार्यक्रम अभिप्रेत है, जो कि राज्य सरकार द्वारा गरीबी की रेखा के और जीवन निर्वाह स्तर के नीचे जीवन निर्वाह करने वाले और ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले निर्धनतम व्यक्तियों की पहचान करने तथा उनके आर्थिक उत्थान के लिए उत्पादक आस्तियां उपलब्ध कराने एवं फायदा पहुंचाने के लिए चलाया जाता है;]

(xi) "संयुक्त कुटुम्ब" से अविभक्त हिन्दु कुटुम्ब अभिप्रेत है और इसमें अन्य व्यक्तियों के मामले में, सदस्यों का एक वर्ग अथवा इकाई सम्मिलित होगी, जो किसी रीति-रिवाज या आचरण से सम्पदा या निवास में संयुक्त हैं;

(xii) "जोहड़ पायतन भूमि" से अधिकार अभिलेख में इस रूप में अभिलिखित भूमि अभिप्रेत है तथा जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा कृषि योग्य मृदा वर्ग में रूपान्तरित नहीं किया गया है;

(xiii) "भूमिहीन व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो –

---

1. अधिसूचना सं. एफ. 4(10) राजस्व/उपनि./75, दिनांक 30.01.1978 द्वारा जोड़ा गया।
2. अधिसूचना सं. एफ. 4(10) उपनि./95, दिनांक 05.05.1999 द्वारा अन्तःस्थापित।
3. अधिसूचना सं. एफ. 4(25) राजस्व/उपनि./77, दिनांक 10.11.1982 द्वारा अन्तःस्थापित तथा अधिसूचना सं. एफ. 4(10) उपनि./95, दिनांक 05.05.1999 द्वारा पुनःसंख्यांकित।

(i) राजस्थान का निवासी है; तथा

(ii) वृत्ति से सद्भाविक कृषक अथवा सद्भाविक कृषि श्रमिक रहा है, और जिसकी आय का प्राथमिक स्त्रोत कृषि है और जो भारत में कहीं भी कोई भूमि धारित नहीं करता है या 25 बीघा से कम भूमि धारित करता है, परन्तु इसमें अस्थायी कृषि पट्टाधारक सम्मिलित नहीं है :

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति, जो पहली अप्रेल, 1955 के पूर्व से लगातार किसी ग्राम में केवल बारानी भूमि धारित कर रहा हो, तो वह उस भूमि को सरकार के पक्ष में निःशुल्क समर्पित कर सकेगा और ऐसे समर्पण को स्वीकार किये जाने पर, वह भी उस ग्राम का भूमिहीन व्यक्ति माना जायेगा। [1][x x x x] :

[2][परन्तु यह और कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा यथा प्रमाणित कोई निर्मुक्त सागड़ी उस ग्राम का भूमिहीन व्यक्ति माना जायेगा।

**स्पष्टीकरण** – इस परन्तुक के प्रयोजनार्थ सागड़ी से बंधित श्रम पद्धति (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 (1976 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 19) में यथा परिभाषित बंधक मजदूर अभिप्रेत है।]

[3][परन्तु यह और कि व्यक्तियों के निम्नलिखित प्रवर्गों को भूमिहीन व्यक्ति नहीं समझा जायेगा, अर्थात् :–

(क) सरकार या किसी वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक संस्थान या समुत्थान के आकस्मिक या कार्य प्रभारित कोई कर्मचारी, उसकी पत्नी तथा उस पर आश्रित उसके बच्चे;

(ख) ऐसा व्यक्ति, जिसने स्वयं द्वारा धारित या स्वयं को आवंटित सम्पूर्ण भूमि या उसका कोई भाग, सरकार या किसी विधिक निकाय को अन्तरित करने या उन द्वारा अवाप्त किये जाने के अन्यथा, विक्रय कर दिया है या अन्यथा अन्तरित कर दिया है और इस प्रकार भूमिहीन व्यक्ति बनने के लिए अपनी धृति के आकार को कम कर दिया है।]

[4][(xiii-क) **"मध्यम खण्ड"** से सिंचित भूमि के 5 बीघा एवं असिंचित भूमि के 10 बीघा से अधिक, किन्तु सिंचित भूमि के 10 बीघा एवं असिंचित भूमि के 20 बीघा से कम भूमि का टुकड़ा अभिप्रेत है;]

(xiv) **"ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति"** का क्रमशः वही अर्थ होगा, जो इन पदों को राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 (1953 का राजस्थान अधिनियम सं. 21) तथा राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, 1959 (1959 का राजस्थान अधिनियम सं. 37) में समनुदेशित किया गया है;

---

1. अधिसूचना सं. एफ. 4(15) उपनि./92, दिनांक 01.09.1995 द्वारा हटाया गया।
2. अधिसूचना सं. एफ. 4(19) राजस्व/उपनि./76, दिनांक 27.06.1976 द्वारा जोड़ा गया।
3. अधिसूचना सं. एफ. 4(10) राजस्व/उपनि./75, दिनांक 27.12.1982 द्वारा जोड़ा गया।
4. अधिसूचना सं. एफ. 4(16) उपनि./99, दिनांक 15.04.2000 द्वारा अन्तःस्थापित।

(xv) "राजस्थान का निवासी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, [1][जो 15 वर्ष से अन्यून अवधि से साधारणतः राजस्थान में निवास कर रहा है, जिसमें से वे व्यक्ति अपवर्जित होंगे, जो किसी भी समय बिना पासपोर्ट या 1965 एवं 1971 के भारत-पाक युद्धों के दौरान देश छोड़ गये थे, लेकिन भारत में वापस आ गये हों,] और इसमें ऐसा व्यक्ति सम्मिलित नहीं होगा, जो साधारणतः किसी अन्य राज्य का निवासी है तथा जो भूमि पर काश्त करने के प्रयोजन के लिए केवल मौसम-दर-मौसम राजस्थान में आता रहा है;

[2][(xvi) **"छोटा टुकड़ा"** से [3][सिंचित भूमि का पांच बीघा तक तथा असिंचित भूमि का दस बीघा तक] के माप की भूमि का टुकड़ा अभिप्रेत है;]

[4][(xvi-क) **"प्रथम चरण"** से इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेश में स्थित ऐसी समस्त भूमियां अभिप्रेत हैं, जो सम्पूर्णतः या अंशतः उन वितरिकाओं से सिंचित की जाती हैं, जो हरि के बैराज और उस बैराज से 393 कि.मी. की दूरी के मध्य मुख्य इन्दिरा गांधी नहर से निकलती हैं;

(xvi-ख) **"द्वितीय चरण"** इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेश के उस क्षेत्र से संदर्भित है, जो प्रथम चरण के अंतर्गत नहीं आता है;]

[5][(xvii) **"अस्थायी कृषि पट्टाधारक"** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो राजस्थान का निवासी है और जो वृत्ति से सद्‌भाविक कृषक रहा है तथा जिसे इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजस्थान उपनिवेशन (अस्थायी कृषि पट्टा) शर्तें, 1955 के अधीन विधिमान्य अस्थायी पट्टे पर भूमि मंजूर की गई थी अथवा जिसे ऐसे क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के प्रावधानों के कारण भूमि अस्थायी रूप से पट्टे पर दी हुई मानी गई हो और जो भू-अभिलेखों (पुनर्ग्रहीत जागीरों के मामले में पूर्व जागीदारों के सुसंगत राजस्व अभिलेखों सहित) में [6][x x x x] या अस्थायी पट्टाधारक के रूप में विधिमान्य रूप से अभिलिखित है तथा जो अस्थायी पट्टे के समापन के बावजूद लगान के संदाय एवं प्राप्ति के द्वारा भूमि को लगातार धारण कर रहा है तथा जो इन्दिरा गांधी परियोजना के किसी क्षेत्र, जहां तक इन नियमों का प्रसार है, में भूमि पर स्वयं व्यैक्तिक रूप से काश्त कर रहा है;]

(xviii) **"भूधृति भूमि"**, **"भूधृति खाता"** एवं **"भूधृति काश्तकार"** से क्रमशः खातेदारी अधिकारों के अधीन धारित भूमि या स्थायी आधार पर आवंटित भूमि, ऐसी भूमि का खाता एवं उपर्युक्त अधिकारों में से किसी के अधीन भूमि धारण करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है।

(2) शब्द एवं अभिव्यक्तियां, जो अधिनियम या राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्तें, 1955 में परिभाषित हैं, इन नियमों में जहां कहीं भी प्रयुक्त किये गयें हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, का अर्थान्वयन वही किया जायेगा, जो उन्हें उक्त अधिनियम या उक्त शर्तों में समनुदेशित किया गया है।

---

1. अधिसूचना सं. एफ. 4(15) उपनि./92, दिनांक 01.09.1995 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं. एफ. 4(16) राजस्व/उपनि./79, दिनांक 25.06.1981 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना सं. एफ. 4(16) राजस्व/उपनि./79, दिनांक 07.01.1983 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. अधिसूचना सं. एफ. 2(9) राजस्व/उपनि./69, दिनांक 08.02.1982 द्वारा जोड़ा गया।
5. अधिसूचना सं. एफ. 4(8) राजस्व/उपनि./76, दिनांक 18.11.1978 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. अधिसूचना सं. एफ. 4(3) राजस्व/उपनि./85, दिनांक 17.05.1996 द्वारा हटाया गया।

टिप्पणी

छोटा टुकड़ा – भूमि का दस बीघा – अभिनिधारित, भूमि के छोटे टुकड़े के रूप में नहीं माना जा सकता। *मुखराम बनाम राजस्थान राज्य,* 1993 RRD 409.

4 बीघा सिंचित भूमि – अभिनिर्धारित, भूमि 2 एकड़ से अधिक होने के कारण भूमि का छोटा टुकड़ा नहीं है। *जग्गूराम बनाम राजस्व मण्डल एवं अन्य,* 1998 WLC (Raj.) UC 211.

सद्भाविक कृषक – अभिनिर्धारित, एक राज्य कर्मचारी वृतिका से सद्भाविक कृषक नहीं माना जा सकता। *सुरता राम बनाम राजस्व मण्डल एवं अन्य,* 1982 WLN (UC) 22.

भूमिहीन व्यक्ति – कृषि विभाग में नियोजित फील्डमैन – अभिनिर्धारित, वह वृतिका से एक कृषक नहीं है, अतः एक भूमिहीन व्यक्ति नहीं समझा जा सकता। *गजेन्द्र सिंह बनाम राजस्थान राज्य,* 1974 RRD 168.

नियम 2(xiii) व 23 – आवंटन को निरस्त करना – 25 बीघा भूमि आवंटित की – अपीलाण्ट ने 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि गैर-खातेदार के रूप में धारित 1965 में बेचान की – तथ्य छिपाने के आधार पर आवंटन निरस्त किया – 1974 में स्थायी आवंटन किया – सम्पूर्ण आवंटन को निरस्त करना न्यायसंगत नहीं था व अपास्त किया तथा आवंटन केवल 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि के लिये निरस्त किया। *सुरेश चन्द्र उर्फ सुरेश चन्द बनाम राजस्व मण्डल एवं अन्य,* 2009 (2) DNJ (Raj.) 837 [D.B.].

नियम 2(xiii) व 23 – आवंटन को निरस्त करना – 25 बीघा भूमि आवंटित की – अपीलाण्ट ने 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि गैरखातेदार के रूप में धारित 1965 में बेचान की – तथ्य छिपाने के आधार पर आवंटन निरस्त किया – 1974 में स्थायी आवंटन किया – सम्पूर्ण आवंटन को निरस्त करना न्यायसंगत नहीं था व अपास्त किया तथा आवंटन केवल 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि के लिये निरस्त किया। ***Suresh Chandra @ Suresh Chand Vs. Board of Revenue & Anr. [D.B.],*** **2009(2) DNJ (Raj.) 837** : 2009(1) RRT 700

नियम 2(xvi), 9, 14 – भूमि के आवंटन को रद्द करना – प्रश्नगत् भूमि गैर मुमकिन आबादीएवं गैर मुमकिन ईंट भट्टा के रूप में दर्ज थी -- भूमि कृषि भूमि में परिवर्तित नहीं हुई – निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया कि भूमि काश्तयोग्य थी – असद्भावी आवंटन – निर्णित, आवंटन रद्द करने के आदेश में अवैधता नहीं है। ***Vaidbakash Vs. State of Rajasthan & Ors.,*** 2010(4) WLC (Raj.) 649

**3 निरसन और व्यावृत्तियां** – (1) राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में 1955 से पूर्व से अस्थायी काश्तकारों को सरकारी भूमि का आवंटन) शर्तें, 1971, जिन्हें एतद्पश्चात् "1955 से पूर्व की शर्तों" के रूप में संदर्भित हैं, और राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में 1955 के पश्चात् के अस्थायी पट्टाधारकों एवं अन्य भूमिहीन व्यक्तियों को सरकारी भूमि का आवंटन) नियम, 1971, जो एतद्पश्चात् "1955 के पश्चात् के नियमों" के रूप में संदर्भित हैं, एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं।

(2) उप-नियम (1) के अधीन ऐसे किसी निरसन के होते हुए भी उक्त निरसित शर्तों अथवा उक्त नियमों के अधीन किया गया कोई भी कार्य या की गयी कोई कार्यवाही अथवा किया गया समझा गया कार्य या की गयी समझी गयी कार्यवाही, यदि वे इन नियमों के विपरीत नहीं हैं, इन नियमों के अधीन किया गया या की गयी समझी जायेगी।

**4. लम्बित आवेदनों का निस्तारण** – (1) 1955 के पूर्व की शर्तों एवं 1955 के पश्चात् के नियमों के अधीन प्रस्तुत किये गये भूमि आवंटन हेतु आवेदन इन नियमों के अधीन प्रस्तुत किये हुये समझे जायेंगे।

(2) उप-नियम (1) में उल्लेखित आवेदनों में से, इन नियमों के प्रारम्भ के समय लम्बित आवेदनों पर इन नियमों के प्रावधानों के अधीन सुनवाई की जायेगी एवं उनके अनुसार निर्णित किये जायेंगे।

(3) जहां उप-नियम (1) में यथा संदर्भित कोई आवेदन किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्व में ही निर्णित किया जा चुका और आवंटन प्राधिकारी यह पाता है कि ऐसे आवेदन पर पारित आवंटन आदेश इन नियमों के प्रावधानों के विपरीत है, तो वह स्वयं की प्रेरणा से ऐसे आदेश का पुनर्विलोकन करेगा और प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् इन नियमों के अधीन तथा उनके अनुसार आवेदन पर निर्णय करेगा।

(4) किसी अस्थाई कृषि-पट्टाधारक के मामले में आवेदन पर उप-नियम (3) के अधीन निर्णय करते समय, यदि आवंटन प्राधिकारी पाता है कि ऐसे पट्टाधारक का [1][वयस्क पुत्र/वयस्क पुत्री] इन नियमों के अधीन भूमि के आवंटन के लिए अन्यथा पात्र है, तो वह ऐसे [2][वयस्क पुत्र/वयस्क पुत्री] को सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि के भीतर भूमिहीन व्यक्ति के रूप में भूमि आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अवसर प्रदान करने वाली एक सूचना जारी करेगा और यदि वह ऐसी सूचना के अनुसरण में आवेदन प्रस्तुत करता है, तो उसे इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार सुना जायेगा एवं निर्णीत किया जायेगा।

## टिप्पणी

जी की अधिशेष भूमि से प्रत्यर्थी सं. 4 से 10 के पक्ष में भूमि का आवंटन – प्रत्यर्थी सं. 4 से 10 जी के पुत्र – याची इस आधार पर किसी आवंटन का दावा नहीं कर सकती थी कि जी उसका भाई था – यदि भूमि के स्थाई आवंटन के सम्बन्ध में याची का कोई दावा है, तो उसे घोषणा हेतु सिविल वाद प्रस्तुत करना चाहिए – अभिनिर्धारित, राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकारिता की त्रुटि से ग्रसित नहीं है। *रोशनी (मुस्त.) बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य*, 2010(3) DNJ (Raj.) 1162 : 2010 WLC (Raj.) UC 533 : 2010 RRJ 666.

नियम 4(2) व 13(5)(बी) – 'जी' की अधिशेष भूमि से रेस्पोण्डेण्ट नं. 4 से 10 को भूमि आवंटित की – भूमि के पुख्ता आवंटन के सम्बन्ध में यदि प्रार्थिया का कोई दावा है तो प्रार्थिया को घोषणा हेतु सिविल वाद पेश करना चाहिये – निर्णित, बोर्ड द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकारिता की त्रुटि से ग्रसित नहीं है। ***Roshani (Mst.) Vs. State of Rajasthan & Ors.*, 2010(3) DNJ (Raj.) 1162** : 2010 WLC (Raj.) UC 533 : 2010 RBJ 666

भूमि का आवंटन – प्रार्थियों के भूमि आवंटन के आवेदन को आरम्भ में अस्वीकार कर दिया गया – अपील में, अपर उपनिवेशन आयुक्त तथा राजस्व अपीलीय प्राधिकारी ने मामले को इस निर्देश के साथ लौटाया कि लम्बित आवेदनों पर विचार हेतु अधिसूचना जारी की जाये – उप. पंजीयक (उपनिवेशन) ने आदेश जारी किया जिसके द्वारा लम्बित आवेदनों पर विचार हेतु बैठक की तिथि निर्धारित की गयी – निर्णित, प्रार्थियों के भूमि के आवंटन के आवेदनों पर बैठक में विधिनुसार विचार किया जाये। ***Babu Ram & Ors. Vs. State of Rajasthan & Ors.*, 2007(3) DNJ (Raj.) 1455**

**5. आवंटन की पात्रता और सीमा** – (1) इन नियमों के अधीन कृषि प्रयोजनों के लिए सरकारी भूमि के आवंटन हेतु निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगे, अर्थात् :–

1. अधिसूचना सं. एफ. 4(15) उपनि./92, दिनांक 01.09.1995 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं. एफ. 4(15) उपनि./92, दिनांक 01.09.1995 द्वारा प्रतिस्थापित।

[1][(i)] कृषि स्नातक,

[2][(ii)] भूमिहीन व्यक्ति,

[3][(iii)] भाखड़ा भूमिहीन व्यक्ति,

[4][[5][(iv)] भूतपूर्व सैनिक,]

[6][(v) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का हिताधिकारी।]

(2) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को 25 बीघा (6.32 हैक्टेयर) तक सरकारी भूमि आवंटित की जा सकेगी :

परन्तु यह कि यदि ऐसा व्यक्ति, भारत में कहीं पर भी कोई भूमि धारित करता है, तो उसे केवल उतनी ही सरकारी भूमि आवंटित की जायेगी, जो उसके विद्यमान धृति को मिलाकर 25 बीघा से अधिक नहीं हो :

परन्तु यह और कि यदि ऐसा व्यक्ति छोटे टुकड़े के आवंटन के लिए पात्र है, तो उसे ऐसा छोटा टुकड़ा तभी आवंटित किया जायेगा, यदि वह उसके विद्यमान धृति से लगता हुआ उपलब्ध है।

### टिप्पणी

याची को 20 बीघा कमाण्ड भूमि आवंटित की गयी – याची के पिता की भूधृति 60 बीघा थी – अभिनिर्धारित, उपनिवेशन आयुक्त ने पिता की भूधृति में याची के काल्पनिक हिस्से की 30 बीघा बारानी भूमि या 15 बीघा कमाण्ड भूमि के रूप में संगणना सही रूप से की है -- परिणामतः याची को 10 बीघा कमाण्ड भूमि तक आवंटित की जा सकती है। *रमेश कुमार बनाम राजस्थान राज्य,* 2004 RRD 439.

6. भूमि का आरक्षण – (1) राज्य सरकार नियम 5 के उप-नियम (1) विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के प्रत्येक प्रवर्ग को आवंटन हेतु विशिष्ट क्षेत्रों में सरकारी भूमि आरक्षित कर सकेगी :

[7][परन्तु सरकार उपनिवेशन आयुक्त को सरकारी भूमि का 30% और 20% क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए आरक्षित करने का निदेश दे सकेगी।]

[8][परन्तु यह और कि कहीं पर भी स्थित जोहड़ पायतन भूमि या एक लाख या अधिक की जनसंख्या वाले नगर की परिधि से 12 कि.मी. के अर्द्धव्यास के भीतर, या पचास हजार या अधिक लेकिन एक लाख से कम की जनसंख्या वाले कस्बे की परिधि से 8 कि.मी. के अर्द्धव्यास के भीतर, या पच्चीस हजार या अधिक किन्तु पचास हजार से कम की जनसंख्या वाले कस्बे की परिधि से 3 कि.मी. के अर्द्धव्यास के भीतर स्थित सरकारी

1. अधिसूचना सं. एफ. 4(5) राजस्व/उपनि./77, दिनांक 18.11.1978 द्वारा पुनःसंख्यांकित।
2. अधिसूचना सं. एफ. 4(5) राजस्व/उपनि./77, दिनांक 18.11.1978 द्वारा पुनःसंख्यांकित।
3. अधिसूचना सं. एफ. 4(5) राजस्व/उपनि./77, दिनांक 18.11.1978 द्वारा पुनःसंख्यांकित।
4. अधिसूचना सं. एफ. 4(10) राजस्व/उपनि./75, दिनांक 30.01.1978 द्वारा जोड़ा गया।
5. अधिसूचना सं. एफ. 4(5) राजस्व/उपनि./77, दिनांक 18.11.1978 द्वारा पुनःसंख्यांकित।
6. अधिसूचना सं. एफ. 4(25) राजस्व/उपनि./77, दिनांक 10.11.1982 द्वारा जोड़ा गया।
7. अधिसूचना सं. एफ. 4 (1) उपनि./96 दिनांक 25.11.2004 द्वारा प्रतिस्थापित।
8. अधिसूचना सं. एफ. 4(10) राजस्व/उपनि./75 दिनांक 24.01.1981 द्वारा प्रतिस्थापित।

भूमि के लिए सरकार, [1][अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग को आवंटित किये जाने के लिए कुल भूमि का क्रमशः 25%, 15%] आरक्षित करने के लिए उपनिवेशन आयुक्त को निर्देश दे सकेगी। दोनों प्रवर्गों की शेष भूमि भूमिहीन व्यक्तियों को आवंटित की जायेगी।]

(2) उप-नियम (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, आवंटन प्राधिकारी निम्नलिखित सभी या इनमें से किसी प्रयोजन के लिए भूमि आरक्षित कर सकेगा :–

(i) पंचायतों एवं पंचायत समितियों को आवंटन;

(ii) ग्राम आबादी, जोहड़, तालाब या कोई अन्य सार्वजनिक प्रयोजन; तथा

(iii) भू-सरंक्षण योजनायें।

(3) इन नियमों में अंतर्विष्ट किस बात के होते हुए भी, राज्य सरकार निम्नलिखित को आवंटित करने के लिए किसी सरकारी भूमि को आरक्षित करने का अधिकार स्वयं में सुरक्षित रखती है :–

(क) केन्द्रीय या राज्य सरकार के यांत्रिक फार्म;

(ख) राज्य सरकार के कृषि विभाग द्वारा स्थापित किये जाने वाले कृषि फार्म;

(ग) राज्य सरकार के पशुपालन और भेड़ एवं ऊन विभाग द्वारा स्थापित किये जाने वाले पशु प्रजनन एवं भेड़ प्रजनन फार्म;

(घ) निर्योग्य सेनाकर्मियों एवं युद्ध में मारे गये प्रतिरक्षाकर्मियों के आश्रितों का पुनर्वास;

(ङ) शौर्य पदकधारक;

(च) विस्थापित कृषक एवं बहिष्कृत; तथा

(छ) किसी अन्य प्रयोजन के लिए।

(4) राज्य सरकार सरकारी भूमि के किसी क्षेत्र या वर्ग या प्रवर्ग को सार्वजनिक नीलामी द्वारा विक्रय हेतु आरक्षित कर सकेगी।

[2][(5) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य की भूमि, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 175 एवं 176 तथा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 13 एवं 14 के अधीन राज्य सरकार में निहित करती हैं, इन नियमों के उपबंधों के अनुसरण में केवल अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को ही क्रमशः आवंटित की जायेंगी।]

**7. आवंटन के लिए पूर्विकतायें** – [3][(1) इन नियमों के अधीन सरकारी भूमि के आवंटन के लिए पूर्विकतायें निम्नलिखित क्रम में होंगी :–

(क) अस्थाई काश्त पट्टाधारक :

[4][परन्तु यह कि उस जिले, जिसमें आवंटित की जाने वाली भूमि स्थित है, के अस्थायी काश्त पट्टाधारक को आवंटन में प्रथम अधिमान दिया जायेगा।]

---

1. अधिसूचना सं. एफ. 4 (1) उपनि./96 दिनांक 25.11.2004 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं. एफ. 4(10) राजस्व/उपनि./75, दिनांक 25.11.1983 द्वारा जोड़ा गया।
3. अधिसूचना सं. एफ. 4(2) राजस्व/उपनि./92, दिनांक 30.06.1993 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. अधिसूचना सं. एफ. 4(2) उपनि./92, दिनांक 03.01.1995 द्वारा जोड़ा गया।

(ख) उसी ग्राम का भूमिहीन व्यक्ति;

(ग) उसी उपनिवेशन तहसील/राजस्व तहसील का भूमिहीन व्यक्ति;

(घ) उसी जिले का भूमिहीन व्यक्ति या जिसकी पहचान राज्य सरकार की अन्तोदय योजना के अधीन या एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के हिताधिकारी के रूप में की गई हो और जिसने इस प्रकार पहचान हो जाने के पश्चात् इन्दिरा गांधी नहर के संनिर्माण में या उसके कमाण्ड क्षेत्र से सम्बन्धित विकास कार्य में राज्य सरकार के वेतनभोगी श्रमिक के रूप में दो वर्ष तक कार्य किया हो;

(ङ) कृषि स्नातक, भूतपूर्व सैनिक एवं इन्दिरा गांधी नहर के और नाखड़ा के भूमिहीन व्यक्ति, उनके लिए आरक्षित क्षेत्रों के लिए;

[1][(च) पड़ोसी जिले के भूमिहीन व्यक्ति;]

[2][(छ) खण्ड (ज) में वर्णित व्यक्तियों को अपवर्जित करते हुए राजस्थान के किसी अन्य जिलों के भूमिहीन व्यक्ति;

(ज) वृहद् एवं मध्यम सिंचाई परियोजना के अधीन के क्षेत्र से सम्बन्धित तहसीलों के उपनिवेशित भाग के भूमिहीन व्यक्ति।]

(2) उप-नियम (1) के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति को उसी ग्राम, तहसील या जिले का भूमिहीन व्यक्ति समझा जायेगा, जहां वह [3][पिछले पन्द्रह वर्ष से] रह रहा है :

[4][परन्तु यह कि द्वितीय चरण में भूमि के आवंटन के प्रयोजनों के लिए उन आवेदकों, जो नियम 10 एवं 11 के अधीन प्रथम चरण में भूमि के आवंटन के लिए पात्र थे और जिन्होंने आवंटन हेतु आवेदन किया था तथा जिनका आवंटन प्राधिकारी द्वारा पंजीयन किया गया था, लेकिन जिन्हें प्रथम चरण में भूमि की अनुपलब्धता के कारण आवंटन नहीं हो सका था, की परस्पर पूर्विक्ता की गणना उस तारीख से की जायेगी, जिस तारीख पर उन्होंने प्रथम चरण में भूमि के आवंटन के लिए मूल रूप में आवेदन किया था।]

**8. आवंटन के लिए कार्यक्रम एवं आवंटन के लिए उपलब्ध सरकारी भूमि की सूची तैयार करना** – [5][x x x x] [6][(1)] आवंटन प्राधिकारी समय-समय पर ऐसा समय और तारीख नियत कर सकेगा, जो वह किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए या नियम 7 के उप-नियम (1) में यथा उपबंधित पूर्विक्ताओं को ध्यान में रखते हुए, व्यक्तियों के किसी वर्ग को सरकारी भूमि के आवंटन हेतु आवेदन आमंत्रित करने के लिए उचित समझे तथा भिन्न-भिन्न क्षेत्रों, प्रयोजनों या व्यक्तियों के वर्ग के लिए ऐसी तारीखें भिन्न-भिन्न हो सकेंगी।

---

1. अधिसूचना सं. एफ. 4(2) उपनि./92, दिनांक 03.01.1995 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं. एफ. 4(2) उपनि./92, दिनांक 03.01.1995 द्वारा जोड़ा गया।
3. अधिसूचना सं. एफ. 4(15) उपनि./92, दिनांक 01.09.1995 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. अधिसूचना सं. एफ. 2(9) राजस्व/उपनि./69, दिनांक 08.02.1982 द्वारा अन्तःस्थापित।
5. अधिसूचना सं. एफ. 4(9) राजस्व/उपनि./87 दिनांक 22.09.1988 द्वारा हटाया गया।
6. अधिसूचना सं. एफ. 4(9) राजस्व/उपनि./87 दिनांक 22.09.1988 द्वारा पुनःसंख्यांकित।

[1][(2)] आवंटन प्राधिकारी आवंटन के लिए उपलब्ध समस्त सरकारी भूमियों की ग्रामवार/चकवार सूचियां प्ररूप-I में तैयार करेगा। यदि राज्य सरकार या आवंटन प्राधिकारी द्वारा किसी विशिष्ट प्रयोजन या व्यक्तियों के किसी वर्ग के लिए ऐसी कोई भूमि आरक्षित की गयी है, तो इसके लिए अलग से सूची तैयार की जायेगी।

**9. सूचना का जारी किया जाना एवं प्रकाशन** – (1) आवंटन हेतु आवेदन आमंत्रित करने और नियम 7 के अनुसार सूची तैयार करने के लिए समय और तारीख नियत करने के पश्चात्, आवंटन प्राधिकारी आवंटन के लिए नियत समय के भीतर, जो ऐसी सूचना की तारीख से 30 दिन से कम का नहीं होगा, आवेदन आमंत्रित करते हुए अपने हस्ताक्षरों के अधीन एक सार्वजनिक सूचना प्ररूप-II में जारी करेगा।

(2) ऐसी सूचना की प्रतियां [2][इसके जारी होने की तारीख के एक सप्ताह के भीतर] व्यापक प्रचार हेतु निम्नलिखित स्थानों पर चिपकायी जायेंगी, अर्थात् :–

(क) सम्बन्धित आवंटन प्राधिकारी के कार्यालय के सूचना-पट्ट पर।

(ख) उपनिवेशन तहसील/राजस्व तहसील, जिसमें भूमि स्थित है, के सूचना-पट्ट पर।

(ग) ग्राम, जिसमें भूमि स्थित है, में सहज दृश्य स्थान पर।

(3) जहां आवंटन प्राधिकारी राजस्व जिले का कलक्टर नहीं है, ऐसी सूचना की एक प्रति सम्बन्धित जिले के कलक्टर को उसके कार्यालय के सूचना-पट्ट पर चिपकाये जाने के लिए भी भेजी जायेगी।

**10. आवंटन के लिए आवेदन** – (1) सरकारी भूमि के आवंटन के लिए पात्र कोई व्यक्ति, नियम 9 के अधीन जारी की गई सार्वजनिक सूचना में नियत समय के भीतर या ऐसे समय के भीतर, जो आवंटन प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर बढ़ाया जाये, उस क्षेत्र के आवंटन प्राधिकारी या इस निमित्त उपनिवेशन आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को [3][ऐसे प्ररूप, जो शासकीय राज-पत्र में प्रकाशन द्वारा राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये] में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा :

परन्तु यह कि पूर्विक्ताओं से सम्बन्धित व्यक्ति, जिनके लिए 1955 के पश्चात् अधिनियमों के अधीन आवेदन पहले ही आमंत्रित किये गये हैं, लेकिन जो उन नियमों के अधीन पात्र न होने के कारण आवेदन नहीं कर सके थे, यदि वे इन नियमों के अधीन पात्र हैं, तो इन नियमों के प्रभाव में आने की तारीख से तीस दिन के भीतर सम्बन्धित आवंटन प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।

[4][(1-क) जहां आवेदक एक विवाहित कृषक हो, वहां आवंटन के लिए आवेदन पति एवं पत्नी दोनों के नाम में प्रस्तुत किया जायेगा।]

---

1. अधिसूचना सं. एफ. 4(9) राजस्व/उपनि./87 दिनांक 22.09.1988 द्वारा पुनःसंख्यांकित।
2. अधिसूचना सं. एफ. 4(15) उपनि./92, दिनांक 01.09.1995 द्वारा अन्तःस्थापित।
3. अधिसूचना सं. एफ. 4(11) उपनि./98, दिनांक 16.08.1999 द्वारा और पुनः अधिसूचना सं. एफ. 4(11) उपनि./1981, दिनांक 17.01.2000 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. अधिसूचना सं. एफ. 4(17) उपनि./97, दिनांक 11.09.2002 द्वारा अन्तःस्थापित।

(2) उप-नियम (1) के अधीन किया गया आवेदन, आवेदक द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. V) के प्रावधानों के अनुसार एक वाद-पत्र की भांति सत्यापित किया जायेगा।

(3) आवेदक अपने आवेदन के साथ एक शपथ-पत्र फाइल करेगा, जिसमें निम्नलिखित बिन्दुओं पर सत्य एवं सही सूचना अंतर्विष्ट होगी और जो मजिस्ट्रेट या शपथ आयुक्त द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित होगा :–

(क) अपने निवास का स्थायी स्थान एवं अपने ग्राम, तहसील व जिले का नाम निर्दिष्ट करते हुए और यह दर्शाते हुए कि वह राजस्थान का निवासी है, वह स्थान, जहां वह साधारणतः निवास करता है, अपना व्यवसाय करता है या अपनी आजीविका उपार्जित करता है।

(ख) क्या वह एक भूमिहीन व्यक्ति है अथवा क्या वह या उसके संयुक्त कुटुम्ब का कोई अन्य सदस्य भारत में कहीं पर भी अपने नाम पर या कुटुम्ब के किसी अन्य सदस्य के नाम पर या किसी अन्य के साथ सह-काश्तकार के रूप में भूमि धारित करता है, उस दशा में धारित भूमि का वर्ग, उसका क्षेत्र भूधृति व अवस्थान और ऐसे संयुक्त कुटुम्ब या सह-स्वामित्व भूमि में आवेदक का वास्तविक हिस्सा विशेष रूप से बताया जायेगा।

(ग) ऐसी भूमि का पूर्ण विवरण, यदि कोई हो, जो उसने या उसके संयुक्त कुटुम्ब के अन्य सदस्य ने 15.10.1955 को या उसके पश्चात् विक्रय, दान या अन्यथा हस्तांतरित कर दी है।

(घ) ऐसी अन्य सूचना जो कि [1][प्ररूप-XXII] में अपेक्षित हो।

(4) नियम 9 के अधीन सार्वजनिक सूचना में नियत समय के पश्चात् या उप-नियम (1) के अधीन बढ़ाये गये समय के पश्चात् प्राप्त किये गये आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा तथा इस प्रयोजन के लिए अलग से रखी गयी पत्रावली में फाइल कर दिया जायेगा :

परन्तु आवंटन प्राधिकारी विशेष मामलों में ऐसे निर्दिष्ट समय के पश्चात् प्राप्त हुए किसी आवेदन पर लिखित में कारण अभिलिखित करते हुए विचार कर सकेगा।

**11. आवेदनों की जांच एवं उन पर रिपोर्ट –** (1) आवेदन प्राप्त होने पर, आवंटन प्राधिकारी तत्काल उसे अपने कार्यालय में प्ररूप-IV में संधारित किये जाने वाले रजिस्टर में दर्ज करेगा तथा आवेदक को प्ररूप-V में एक रसीद जारी करेगा।

(2) आवंटन प्राधिकारी आवेदनों और उनके साथ संलग्न शपथ-पत्रों की संवीक्षा करेगा तथा आवेदन में वर्णित विवरणों का, राजस्व अभिलेखों में की सुसंगत प्रविष्टियों के संदर्भ में, सत्यापन करेगा और ऐसी जांच भी करेगा या करायेगा जो आवेदनों में वर्णित तथ्यों की सही स्थित जानने के लिए वह आवश्यक समझे :

परन्तु ऐसी संवीक्षा, सत्यापन एवं जांच, जहां तक संभव हो, उस उपनिवेशन तहसील या राजस्व तहसील, जिसमें भूमि स्थित है, के मुख्यालय पर की जायेगी।

(3) आवंटन प्राधिकारी सार्वजनिक सूचना के अनुसरण में प्राप्त आवेदनों पर निर्णय देगा, जैसा कि एतद्पश्चात् उपबंधित है।

---

1. अधिसूचना सं. एफ. 4(11) उपनि./98, दिनांक 16.08.1999 द्वारा प्रतिस्थापित।

[1][परन्तु यह कि वे आवेदन, जो त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं, एक समिति, जिसमें सम्बन्धित जिला कलक्टर या उसका नामनिर्देशिती अध्यक्ष के रूप में तथा सम्बन्धित उपायुक्त/सहायक आयुक्त उपनिवेशन सदस्य के रूप में होंगे, के समक्ष पेश किये जायेंगे। आवंटन प्राधिकारी, ऐसे किसी आवेदन पर निर्णय लेने से पूर्व इस समिति की सिफारिश पर विचार करेगा]

### टिप्पणी

नियम 9, 10 एवं 11 – आवंटन के लिए न तो आवेदन आमंत्रित किये गये, न ही सार्वजनिक सूचना जारी की गयी – अभिनिर्धारित, विहित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया – आवंटन रद्द किये जाने के दायी हैं। *भूपाराम बनाम बालूराम एवं अन्य,* 2001 RRD 120.

**12. कृषि स्नातकों को भूमि का आवंटन** – इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कृषि स्नातकों को भूमि का आवंटन निम्नलिखित रीति से किया जायेगा :-

(1) कृषि स्नातकों को भूमि का आवंटन नियम 6 के अधीन इस प्रयोजन के लिए आरक्षित भूमि में से किया जायेगा।

(2) सरकारी भूमि के आवंटन का इच्छुक कृषि स्नातक, आवंटन हेतु अपना आवेदन, प्ररूप-VI में, तीन प्रतियों मे, इस आशय के शपथ-पत्र के साथ कि वह इन नियमों के अधीन एक कृषि स्नातक है, निर्देशक कृषि, राजस्थान को प्रस्तुत करेगा, जो उसे तत्काल प्ररूप-VII में स्वयं द्वारा संधारित रजिस्टर में दर्ज करेगा तथा आवेदक को प्ररूप-VIII में एक रसीद जारी करेगा।

(3) निर्देशक, कृषि ऐसे आवेदनों की स्वयं द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित प्रतियां, यह कथन करते हुए कि उस द्वारा आवेदक को इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेश क्षेत्र में भूमि के आवंटन के लिए चुन लिया गया है, उपनिवेशन आयुक्त को भेजेगा।

(4) उपनिवेशन आयुक्त आवेदन की एक प्रति अपने कार्यालय में रखेगा एवं दूसरी प्रति भूमि के आवंटन के लिए सम्बन्धित आवंटन प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा।

(5) आवंटन प्राधिकारी, ऐसे व्यक्तियों के लिए आरक्षित क्षेत्र में से नियम 5 के उप-नियम (2) में उपबंधित सीमा तक इन नियमों में विहित निबंधनों एवं शर्तों पर प्रत्येक आवेदक को भूमि का आवंटन करेगा तथा आवेदक को प्ररूप-IX में सूचित करेगा।

(6) कृषि स्नातक, जिसे इस नियमों के अधीन भूमि आवंटित की गयी है, ऐसे आवंटन की सूचना की तारीख से एक महिने के भीतर भूमि का कब्जा लेगा। उक्त अवधि के भीतर भूमि का कब्जा लेने में उसके विफल रहने पर, यह समझा जायेगा कि आवंटी ने आवंटन को इन्कार कर दिया है और तत्पश्चात् वह भूमि इन नियमों के अधीन किसी अन्य कृषि स्नातक को पुनः आवंटन के लिए उपलब्ध रहेगी।

(7) कृषि स्नातक को कब्जा दिये जाने के सम्बन्ध में आवंटन प्राधिकारी भूमि का विवरण दर्शाते हुए प्ररूप-X में एक प्रमाण-पत्र मंजूर करेगा। प्रमाण-पत्र की एक प्रतिलिपि उपनिवेशन आयुक्त तथा निदेशक, कृषि को भी अग्रेषित की जायेगी।

---

1. अधिसूचना सं. एफ. 4(16) उपनि./99, दिनांक 15.04.2000 द्वारा जोड़ा गया।

(8) कृषि स्नातक, उसे आवंटित भूमि का उपयोग व्यक्तिगत काश्त के लिए करेगा और उक्त भूमि के सम्बन्ध में कृषि प्रयोजनार्थ ऋण प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा अनुमोदित भूमि बंधक बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्था को इसे बंधक करने के अतिरिक्त उसे भूमि अन्तरित करने, उप-पट्टे पर देने या किसी अन्य व्यक्ति को बंधक करने की अनुज्ञा नहीं होगी। यदि ऐसा स्नातक आवंटन की तारीख से पांच वर्ष के भीतर कहीं पर भी नियोजित हो जाता है, तो आवंटित भूमि सरकार को वापस हो जायेगी और वसूल की गई सभी किश्तें प्रतिसंदत्त कर दी जायेंगी, लेकिन आवंटी द्वारा भूमि के सुधार पर किये गये व्यय के लिए कोई प्रतिकर [1][नहीं] दिया जायेगा।

[2][(9) भूमि आवंटन के पांच वर्ष के भीतर उसके द्वारा कोई नियोजन स्वीकार किये जाने पर कृषि स्नातक तुरन्त आवंटन प्राधिकारी को संसूचित करेगा और स्वयं के स्तर पर ऐसा करने में विफल रहने पर, वह उप-नियम (8) में संदर्भित किश्तों के प्रतिसंदाय के लिए वह हकदार नहीं होगा।]

[3][12-क. **भूतपूर्व सैनिकों को भूमि का आवंटन** – इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भूतपूर्व सैनिकों को भूमि का आवंटन निम्नलिखित रीति से किया जायेगा :–

(i) भूतपूर्व सैनिकों को सरकारी भूमि का आवंटन इन नियमों के नियम 6 के अधीन इस प्रयोजन के लिए आरक्षित भूमि में से किया जायेगा।

(ii) उपनिवेशन आयुक्त भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, भूमिहीन व्यक्तियों के लिए नियम 7 के अधीन यथा उपबंधित पूर्विकता के क्रम के अनुसार, समय-समय पर कलक्टर के माध्यम से पूर्व सैनिकों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए विनिश्चय कर सकेगा।

(iii) नियत समय, जो ऐसी सूचना की तारीख से तीस दिन से कम का नहीं होगा या जो समय-समय पर बढ़ाया जाये, के भीतर आवंटन हेतु आवेदन आमंत्रित करने वाली सार्वजनिक सूचना, उपनिवेशन आयुक्त या उस द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर के अधीन जारी की जायेगी।

(iv) ऐसी सूचना की प्रतियां व्यापक प्रचार हेतु निम्नलिखित स्थानों पर चिपकायी जायेंगी; अर्थात् :–

(क) उपनिवेशन आयुक्त के सूचना-पट्ट पर,

(ख) जिला कलक्टर के सूचना-पट्ट पर,

(ग) जिले के सैनिक, नाविक तथा वायु सैनिक बोर्ड के सचिव के सूचना-पट्ट पर।

(v) भूमि के आवंटन भूतपूर्व सैनिक आवंटन हेतु प्ररूप-XIV में अपना आवेदन तीन प्रतियों में इस आशय के एक शपथ-पत्र के साथ कि वह इन नियमों के

1. अधिसूचना सं. एफ. 4(5) राजस्व/उपनि./77, दिनांक 19.03.1980 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं. एफ. 4(5) राजस्व/उपनि./77, दिनांक 19.03.1980 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना सं. एफ. 4(10) राजस्व/उपनि./75, दिनांक 30.01.1978 द्वारा जोड़ा गया।

अधीन एक भूतपूर्व सैनिक है, जिले के कलक्टर को प्रस्तुत करेगा, जो इसे तत्काल प्ररूप-XV में संधारित एक रजिस्टर में दर्ज करेगा तथा आवेदक को प्ररूप-XVI में एक रसीद जारी करेगा। इस प्रकार प्रस्तुत किया गया आवेदन, आवेदक द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम V) के प्रावधानों के अनुसार एक वाद-पत्र की भांति सत्यापित किया जायेगा और आवेदन में यथाअपेक्षित सत्य व सही सूचना सम्बन्धी शपथ-पत्र किसी मजिस्ट्रेट या किसी शपथ आयुक्त द्वारा सत्यापित किया जायेगा।

(vi) जिले का कलक्टर आवेदन तथा उसके साथ संलग्न शपथ-पत्र की संवीक्षा करेगा और आवेदन में वर्णित तथ्यों की सही स्थिति का पता लगाने के लिए स्वयं जांच करेगा या ऐसी जांच करायेगा, जो वह आवश्यक समझे। तत्पश्चात वह प्ररूप-XVII में अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा।

(vii) जिले का कलक्टर प्ररूप-XVII में रिपोर्ट के साथ आवेदन की दो प्रतियां उपनिवेशन आयुक्त को भेजेगा, जो आवेदक की एक प्रति अपने कार्यालय में रखेगा एवं अन्य प्रति प्ररूप-XVII में रिपोर्ट के साथ भूमि के आवंटन के लिए सम्बन्धित आवंटन प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा। आवंटन प्राधिकारी, आवेदक की पात्रता के सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेने के पश्चात् ऐसे आवेदकों के लिए आरक्षित क्षेत्र में से नियम 5 के उप-नियम (2) में उपबन्धित सीमा तक इन नियमों में यथा-विहित निबंधनों एवं शर्तों पर प्रत्येक आवेदक को सरकारी भूमि आवंटित करेगा।

[1][x x x x]

[2][(vii-क) जब एक से अधिक आवेदक हों, तो आवंटन, पर्ची निकालकर निम्नलिखित रीति से किया जायेगा :–

(क) उपनिवेशन आयुक्त, ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार करेगा, जिनके आवेदन, समय के भीतर प्राप्त हुए हों और जो इन नियमों के अधीन भूमि आवंटन हेतु पात्रता की शर्त पूर्ण करते हों;

(ख) उन व्यक्तियों की संख्या, जिन्हें भूमि आवंटित की जा सकेगी, आवंटन प्राधिकारी द्वारा आवंटन के लिए उपलब्ध भूमि के कुल क्षेत्र को 25 से विभाजित करके विनिश्चित की जायेगी;

(ग) उपर्युक्त खण्ड (ख) के अधीन आवधारित संख्या के बराबर भूमि के आवंटन के लिए पात्र व्यक्तियों का चयन करने के लिए आवंटन प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त खण्ड (क) के अधीन पात्र पाये गये आवेदकों में से पर्चियां निकाली जायेंगी। उन्हीं पर्चियों के निकाले जाते समय उपर्युक्त खण्ड (ख) के अधीन विनिश्चित किये गये व्यक्तियों की संख्या के 25 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त व्यक्तियों का चयन किया जायेगा

1. अधिसूचना सं. एफ. 4(11) राजस्व/उपनि./83, दिनांक 05.10.1983 द्वारा हटाया गया।
2. अधिसूचना सं. एफ. 4(11) राजस्व/उपनि./83, दिनांक 05.10.1983 द्वारा जोड़ा गया।

और निकाली गई पर्चियों के परिणाम के अनुसार क्रम से उन्हें व्यवस्थित किया जायेगा तथा प्रतीक्षा सूची में रखा जायेगा। प्रतीक्षा सूची, आवंटन के लिए उपलब्ध भूमि निःशेष होने तक विधिमान्य रहेगी,

(घ) यदि आवंटन के लिए उपलब्ध भूमि पर्ची निकालकर सफल घोषित किये गये व्यक्तियों को आवंटित किये जाने की अपेक्षित भूमि से अधिक है, तो प्रतीक्षा सूची के व्यक्तियों को उनके क्रमानुसार भूमि का आवंटन किये जाने पर विचार किया जायेगा;

(ङ) उपर्युक्त खण्ड (ग) एवं (घ) के अधीन भूमि के आवंटन के लिए सफल तथा हकदार घोषित किये गये आवेदकों को तहसीलों, जिलों तथा क्षेत्रों, जिनसे वे सम्बन्धित हैं, के आधार पर सामांगी समूहों में क्रमांकित किया जायेगा;

(च) आवंटन के लिए उपलब्ध कुल क्षेत्र में से खण्ड (ङ) के अधीन बनाये गये प्रत्येक समूह के आवश्यकता के अनुसार भूमि का संहृत क्षेत्र ऐसे प्रत्येक समूह के लिए अलग किया जायेगा तथा उसी समूह के प्रत्येक व्यक्ति को भूमि का आवंटन ऐसे समूहों के व्यक्तियों के मध्य अलग से निकाली गई पर्चियों के आधार पर अलग किये गये ऐसे क्षेत्रों में से किया जायेगा।]

[1][(vii-ब) इस नियम के अधीन सरकारी भूमि के सभी आवंटन, आवंटन प्राधिकारी द्वारा सलाहकार समिति के परामर्श से किये जायेंगे, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) राजस्थान विधानसभा का सदस्य, जिसके निर्वाचन क्षेत्र में आवंटित किये जाने के लिए प्रस्तावित भूमि स्थित है;

(ख) ग्राम पंचायत का सरपंच, जिसके क्षेत्राधिकार में ऐसी भूमि स्थित है;

(ग) सम्बन्धित जिला सैनिक बोर्ड का सचिव;

(घ) महानिर्देशक, पुनर्वास का कोई प्रतिनिधि, जिसे उस द्वारा नामनिर्देशित किया जाये; और

(ङ) तहसील, जिसमें भूमि स्थित है, का उपनिवेशन तहसीलदार।

[2][(च) जिला कलक्टर के प्रतिनिधि के रूप में सम्बन्धित उप-खण्ड का उप-खण्ड अधिकारी।]

इस सलाहकार समिति के सम्बन्ध में नियम 13 के प्रावधान यथावश्यक परिवर्तन सहित उस विस्तार तक लागू होंगे, जहां तक कि इस नियम में उसके विषय में कोई उपबंध नहीं है।]

(viii) जिन व्यक्तियों के आवेदन मंजूर या नामंजूर किये गये हैं, उनकी पृथक्-पृथक् सूचियां तत्काल उपनिवेशन तहसील या राजस्व तहसील, जिसके क्षेत्राधिकार में भूमि स्थित है, के सूचना-पट्ट पर चिपकायी जायेगी। ऐसा प्रकाशन आवेदनों पर पारित आदेशों की आवेदकों को पर्याप्त सूचना समझी जायेगी।

---

1. अधिसूचना सं. एफ. 4(11) राजस्व/उपनि./83, दिनांक 23.08.1984 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. अधिसूचना सं. एफ. 4(2) उपनि./92, दिनांक 24.03.1994 द्वारा जोड़ा गया।

(ix) आवंटन प्राधिकारी प्ररूप-XII में आवंटन आदेश जारी करेगा, जिसकी एक प्रति आवंटी, उपनिवेशन तहसीलदार, जिले के कलक्टर और उपनिवेशन आयुक्त को भेजी जायेगी।

(x) भूतपूर्व सैनिक, जिसे इन नियमों के अधीन भूमि आवंटित की गयी है, प्ररूप-XII में आवंटन आदेश प्राप्त होने की तारीख से एक माह के भीतर भूमि का कब्जा लेगा। आवंटी द्वारा उक्त कालावधि के भीतर भूमि का कब्जा लेने में विफल रहने की दशा में यह समझा जायेगा कि उसने आवंटन से इंकार कर दिया है और उसके पश्चात् वह भूमि इन नियमों के अधीन किसी अन्य भूतपूर्व सैनिक को पुनः आवंटित किये जाने के लिए उपलब्ध होगी।

(xi) उपनिवेशन तहसीलदार आवंटी को आवंटित भूमि का कब्जा सौंपेगा और और आवंटी को इस आशय का एक प्रमाण-पत्र जारी करेगा। प्रमाण-पत्र की एक प्रतिलिपि आवंटन प्राधिकारी, जिले के कलक्टर तथा उपनिवेशन आयुक्त को भी अग्रेषित की जायेगी।

**13. अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों को भूमि का आवंटन –** [1][(1) सरकारी भूमि के सभी आवंटन, सिवाय उनके जो नियम 12 या 12-क में विनिर्दिष्ट हैं, आवंटन प्राधिकारी द्वारा सलाहकार समिति के परामर्श से किये जायेंगे, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

(क) राजस्थान विधानसभा का सदस्य, जिसके निर्वाचन क्षेत्र में आवंटित किये जाने के लिए प्रस्तावित भूमि स्थित है :

परन्तु यह कि जहां राजस्व तहसील, जिसका उपनिवेशन तहसील, जिसमें भूमि स्थित है, एक भाग है, का प्रतिनिधित्व करने वाले विधानसभा के दो सदस्य हैं, तो विधानसभा का दूसरा सदस्य भी सदस्य होगा और यदि विधानसभा के दो से अधिक सदस्य हैं, तो उनमें से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सलाहकार समिति का सदस्य होगा।

(ख) पंचायत समिति, जिसके क्षेत्राधिकार में भूमि स्थित है, का प्रधान;

(ग) ग्राम पंचायत, जिसके क्षेत्राधिकार में ऐसी भूमि स्थित है, का सरपंच;

(घ) राजस्थान विधानसभा का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य या ऐसे सदस्य के उपलब्ध न होने पर, उस जिले, जिसमें भूमि स्थित है, से सम्बन्धित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कोई अन्य व्यक्ति, जिसे राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाये;

(ङ) उस जिले से सम्बन्धित राजस्थान विधानसभा का राज्य सरकार द्वारा यथानामनिर्दिष्ट कोई सदस्य, जिससे भूमिहीन व्यक्ति, जिन्हें भूमि आवंटन की जानी है, सम्बन्ध रखते हैं;

[2][(च) तहसील, जिसमें भूमि स्थित है, का उपनिवेशन तहसीलदार;]

(छ) सम्बन्धित उप-खण्ड का उप-खण्ड अधिकारी या जिला कलक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट समान रैंक का कोई अधिकारी;

---

1. अधिसूचना सं. एफ. 3(57) उपनि./95 भाग VI, दिनांक 09.11.1999 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं. एफ. 3(57) उपनि./95 भाग VI, दिनांक 11.11.1999 द्वारा संशोधित।

(ज) राजस्व तहसील, जिसमें भूमि स्थित है, का तहसीलदार/नायब तहसीलदार या जिला कलक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट समान रैंक का कोई अधिकारी।]

[1][(1-क) जब कभी संसद या राज्य की विधानसभा या राज्य पंचायत निकायों के किन्हीं निर्वाचनों की घोषणा सम्बन्धित निर्वाचन आयोग द्वारा कर दी जाती है तथा ऐसी घोषणा के परिणामस्वरूप कोई आदर्श आचार संहिता प्रभाव में आ जाती है, तो नियम 12 के उप-नियम (1) के अधीन नियुक्त या नामनिर्दिष्ट विधानसभा के सदस्यों, प्रधानों एवं सरपंचों की सदस्यता उस तारीख, जिससे आदर्श आचार संहिता प्रभावी होती है, से निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने की तारीख तक स्वतः ही निलम्बित हो जायेगी। ऐसे व्यक्तियों की सदस्यता निर्वाचन प्रक्रिया के पूर्ण होने की तारीख को स्वतः ही पुनर्स्थापित हो जायेगी।]

(2) आवंटन प्राधिकारी सलाहकार समिति का अध्यक्ष होगा और उपनिवेशन तहसीलदार समिति के सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करेगा।

[2][परन्तु यह कि यदि सलाहकार समिति की राय में कोई भूमि सलाहकार समिति के किसी सदस्य के कुटुम्ब के सदस्य को आवंटित की जानी है, तो मामला उपनिवेशन आयुक्त/जिला कलक्टर, जिसकी अधिकारिता के भीतर भूमि स्थित है, को निर्देशित किया जायेगा। आवंटन उपनिवेशन आयुक्त/जिला कलक्टर के अनुमोदन के पश्चात् किया जायेगा।]

(3) सलाहकार समिति के परामर्श से आवंटन करने के लिए आवंटन प्राधिकारी, समिति की बैठक अधिमानतः उपनिवेशन तहसील या राजस्व तहसील, जिसमें भूमि स्थित है, के मुख्यालय पर बुलायेगा। सलाहकार समिति के सदस्य को बैठक की कम से कम एक सप्ताह की सूचना [3][पंजीकृत डाक द्वारा या वाहक के जरिये दी जायेगी। यदि आवंटन प्राधिकारी का यह समाधान हो कि सूचना के बावजूद बैठक में जन प्रतिनिधि उपस्थित नहीं है, तो उनकी अनुपस्थिति सलाहकार समिति के विनिश्चयों को प्रभावित नहीं करेगी। यद्यपि, सलाहकार समिति की बैठक आयोजित करने से पूर्व, आवंटन प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि बैठक की सूचना जनप्रतिनिधि को पंजीकृत डाक द्वारा सम्यक् रूप से भेजी गयी है और जहां सूचना वाहक के जरिये भेजी गयी हो, तो जन प्रतिनिधि या ऐसे जन प्रतिनिधि द्वारा अधिकृत अन्य व्यक्ति की रसीद प्राप्त हो गयी है।]

[4][परन्तु बैठक में तीन सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी और यदि गणपूर्ति के अभाव में बैठक स्थगित की जाती है, तो स्थगित बैठक में दो सदस्यों की उपस्थिति पर्याप्त होगी।]

[5][x x x x]

---

1. अधिसूचना सं. एफ. 4(11) उपनि./1981, दिनांक 17.01.2000 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. अधिसूचना सं. एफ. 4(15) उपनि./92, दिनांक 01.09.1995 द्वारा जोड़ा गया।
3. अधिसूचना सं. एफ. 4(17) उपनि./97, दिनांक 17.11.1999 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. अधिसूचना सं. एफ. 4(8) राजस्व/उपनि./76, दिनांक 18.11.1978 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. अधिसूचना सं. एफ. 4(17) उपनि./97, दिनांक 17.11.1999 द्वारा हटाया गया।

(4) आवंटन प्राधिकारी द्वारा आरक्षण-वार पात्र व्यक्तियों की अलग से प्ररूप-XI में सूचियां तैयार की जायेंगी और ऐसी बैठक में सलाहकार समिति के समक्ष रखी जायेंगी।

(5) भूमि की उपलब्धता के अध्यधीन रहते हुए, आवंटन प्राधिकारी सलाहकार समिति के परामर्श के पश्चात् नियम 8 के उप-नियम (3) के अधीन तैयार की गयी सूची में प्रविष्ट भूमि में से उप-नियम (4) में संदर्भित सूची में उल्लेखित व्यक्तियों को सरकारी भूमि आरक्षण-वार आवंटित करेगा। ऐसा करते समय नियम 6 के उप-नियम (2) से (4) के अधीन किसी विशिष्ट प्रयोजन या व्यक्तियों के प्रवर्ग के लिए आरक्षित की गई सरकारी भूमि के सिवाय, आवंटन प्राधिकारी निम्नलिखित रीति से कार्य करेगा, अर्थात् :-

(क) अस्थायी काश्त पट्टाधारक को उसके अस्थायी काश्त पट्टे के अधीन की भूमि में से उस परिसीमा तक भूमि आवंटित की जायेगी, जिसके लिए वह इन नियमों के अधीन पात्र है :

परन्तु यदि ऐसा पट्टाधारक 25 बीघा से कम पट्टाभूमि धारित करता है, तो वह शेष भूमि के लिए भूमि की उस परिसीमा को पूर्ण करने के लिए, जिसके लिए वह पात्र है, उसी पूर्विकता के अन्य भूमिहीन व्यक्तियों के साथ खण्ड (ग) तथा (घ) में उपबंधित रीति से आवंटन प्राप्त करेगा।

[1][परन्तु यह और कि वे अस्थाई खेतिहर, जिन्हे 01.01.1995 को या उसके पूर्व आवंटित की गयी थी, चाहे उनका अस्थाई खेती पट्टा नवीकृत किया गया है या नहीं, या सक्षम न्यायालय द्वारा रद्द नहीं किया गया और ऐसे खेतिहरों का आवंटन की तारीख तक ऐसी भूमि पर कब्जा रहा है, ऐसे व्यक्ति नियमों में अधिकथित निबंधन और शर्तों पर स्थाई आधार पर भूमि आवंटन के पात्र होंगे और उनसे वह भूमि की कीमत प्रभारित की जायेगी, जो उक्त नियमों के नियम 17 में अधिकथित है।]

[2][(ख) यदि अस्थायी काश्त पट्टाधारक का कोई [3][वयस्क पुत्र/वयस्क पुत्री] इन नियमों के अधीन सरकारी भूमि के आवंटन हेतु पात्र है और उसके पिता को भूमि के आवंटन के पश्चात् पिता के अस्थायी काश्त पट्टा के अधीन की भूमि में कोई भूमि अधिशेष रहती है, तो ऐसी अधिशेष भूमि उस परिसीमा तक, जिसके लिए वह पात्र है, [4][वयस्क पुत्र/वयस्क पुत्री] को आवंटित की जा सकेगी। ऐसे [5][वयस्क पुत्र/वयस्क पुत्री] एक से अधिक होने के दशा में, ऐसी अधिशेष भूमि उन्हें सह-काश्तकारों के रूप में समान रूप से आवंटित की जायेगी। बची हुई भूमि, जिसके लिए ऐसा [6][वयस्क पुत्र/वयस्क पुत्री] इन नियमों के अधीन पात्र हो, उसी पूर्विकता

---

1. अधिसूचना सं. एफ. 3 (29) उपनि./86 दिनांक 26.11.2004 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. अधिसूचना सं. एफ. 4(8) राजस्व/उपनि./76, दिनांक 18.11.1978 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना सं. एफ. 4(15) उपनि./92, दिनांक 01.09.1995 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. अधिसूचना सं. एफ. 4(15) उपनि./92, दिनांक 01.09.1995 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. अधिसूचना सं. एफ. 4(15) उपनि./92, दिनांक 01.09.1995 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. अधिसूचना सं. एफ. 4(15) उपनि./92, दिनांक 01.09.1995 द्वारा प्रतिस्थापित।

के अन्य व्यक्तियों, जिससे वह सम्बन्धित है, के साथ तथा खण्ड (ग) एवं (घ) में उपबंधित रीति से आवंटित की जायेगी।

[1][स्पष्टीकरण :– इस उप-नियम में अभिव्यक्ति "वयस्क पुत्र" से ऐसा पुत्र अभिप्रेत है, जिसने [2][01.01.2001 को या उससे पूर्व] भारतीय व्यस्कता अधिनियम, 1875 के अनुसार व्यस्कता की आयु प्राप्त कर ली हो।]

(ग) यदि कोई भूमिहीन व्यक्ति, आवंटन के लिए उपलब्ध सरकारी भूमि से लगी हुयी भूमि धारित करता है या उसे कोई भूमि आवंटित की जाती है, तो उसे ऐसी सरकारी भूमि में से उपलब्ध सीमा तक भूमि का आवंटन किया जायेगा।

(घ) यदि कोई भूमिहीन व्यक्ति, खण्ड (ग) में यथाउल्लेखित कोई भूमि धारित नहीं करता है या उक्त खण्ड के अधीन उसे भूमि आवंटन किये जाने के पश्चात् भी वह और अतिरिक्त भूमि के लिए पात्र रहता है, तो ऐसी भूमि या अतिरिक्त भूमि का आवंटन, जैसी भी स्थिति हो, नियम 7 में विनिर्दिष्ट भूमिहीन व्यक्तियों की पूर्विकता के कठोर क्रमानुसार पर्चिया निकाल कर किया जायेगा [3][x x x x]।

[4][परन्तु यह कि किसी जोहड़ पायतन भूमि का आवंटन राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा।

[5][(ङ) खण्ड (ख) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख [6][31.12.2008] होगी।]

[7][(5-क) पर्चिया निम्नलिखित रीति से निकाली जायेंगी :–

(i) आवंटन प्राधिकारी उन व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगा, जिनके आवेदन समय के भीतर प्राप्त हुए हों और जो इन नियमों के अधीन भूमि के आवंटन के लिए पात्रता की शर्त पूर्ण करते हैं;

(ii) उन व्यक्तियों की संख्या, जिन्हें भूमि आवंटित की जा सकेगी, आवंटन प्राधिकारी द्वारा आवंटन के लिए बीघों में उपलब्ध भूमि के कुल क्षेत्र को 25 से विभाजित करके विनिश्चित की जायेगी;

(iii) उपर्युक्त खण्ड (ii) के अधीन अवधारित संख्या के बराबर भूमि के आवंटन के लिए पात्र व्यक्तियों का चयन करने के लिए आवंटन प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त खण्ड (i) के अधीन पात्र पाये गये आवेदकों में से पर्चियां निकाली जायेंगी;

उन्हीं पर्चियों के निकाले जाते समय उपर्युक्त खण्ड (ii) के अधीन विनिश्चित किये गये व्यक्तियों की संख्या के 25 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त व्यक्तियों का चयन किया जायेगा और निकाली गई पर्चियों के परिणाम के अनुसार क्रम से उन्हें व्यवस्थित किया जायेगा तथा प्रतीक्षा

---

1. अधिसूचना सं. एफ. 4(14) राजस्व/उपनि./83, दिनांक 11.09.1986 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. अधिसूचना सं. एफ. 4(11) उपनि./97/1, दिनांक 18.05.2007 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना सं. एफ. 4(11) राजस्व/उपनि./83, दिनांक 06.07.1984 द्वारा हटाया गया।
4. अधिसूचना सं. एफ. 4(15) उपनि./92, दिनांक 01.09.1995 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. अधिसूचना सं. एफ. 4(14) राजस्व/उपनि./83, दिनांक 29.06.1987 द्वारा जोड़ा गया।
6. अधिसूचना सं. एफ. 4(11) उपनि./97, दिनांक 21.09.2007 द्वारा प्रतिस्थापित।
7. अधिसूचना सं. एफ. 4(11) राजस्व/उपनि./83, दिनांक 06.07.1984 द्वारा जोड़ा गया।

सूची में रखा जायेगा। प्रतीक्षा सूची, आवंटन के लिए उपलब्ध भूमि निःशेष होने तक विधिमान्य रहेगी;

(iv) यदि आवंटन के लिए उपलब्ध भूमि, पर्ची निकालकर सफल घोषित किये गये व्यक्तियों को आवंटित किये जाने के लिए अपेक्षित भूमि से अधिक है, तो प्रतीक्षा सूची के व्यक्तियों को उनके क्रमानुसार भूमि का आवंटन किये जाने पर विचार किया जायेगा;

(v) उपर्युक्त खण्ड (iii) एवं (iv) के अधीन भूमि के आवंटन के लिए सफल तथा हकदार घोषित किये गये आवेदकों को [1][गांवों], तहसीलों, जिलों तथा क्षेत्रों, जिनसे वे सम्बन्धित हैं, के आधार पर सामांगी समूहों में क्रमांकित किया जायेगा;

(vi) आवंटन के लिए उपलब्ध कुल क्षेत्र में से खण्ड (v) के अधीन बनाये गये प्रत्येक समूह की आवश्यकता के अनुसार भूमि का संहृत क्षेत्र ऐसे प्रत्येक समूह के लिए अलग किया जायेगा तथा उसी समूह के प्रत्येक व्यक्ति को भूमि का आवंटन ऐसे समूहों के व्यक्तियों के मध्य अलग से निकाली गई पर्चियों के आधार पर अलग किये गये ऐसे क्षेत्रों में से किया जायेगा।

(6) बैठक की कार्यवृत्त सदस्य सचिव द्वारा अभिलिखित की जायेगी और उस पर आवंटन प्राधिकारी के साथ-साथ सलाहकार समिति के सभी सदस्यों, जो उपस्थित हों, द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे। सदस्यों के मध्य मत भिन्नता की दशा में, प्रत्येक उपस्थित सदस्य का मत अभिलिखित किया जायेगा। इसी प्रकार सलाहकार समिति के सदस्यों तथा आवंटन प्राधिकारी के मध्य मत भिन्नता की दशा में, आवंटन प्राधिकारी अन्तिम आदेश पारित करने से पूर्व अपनी असहमति के कारणों को अभिलिखित करेगा।

(7) जिनके आवेदन मंजूर या नामंजूर हुये हैं, ऐसे व्यक्तियों की पृथक्-पृथक् सूचियां उपनिवेश तहसील या राजस्व तहसील, जिनके क्षेत्राधिकार में भूमि स्थित है, के सूचना-पट्ट पर तत्काल चिपकायी जायेंगी। ऐसा प्रकाशन, आवेदकों को उनके आवेदनों पर पारित किये गये आदेशों की पर्याप्त सूचना समझी जायेगी।

[2][परन्तु यह कि आवंटन प्राधिकारी ऐसे पात्र व्यक्तियों, जिन्हें भूमि की अनुपलब्धता के कारण भूमि आवंटित नहीं की जा सकती हो, के आवेदन उस तहसील को अन्तरित करेगा, जहां ऐसी तहसील में उनकी पूर्विकता के अनुसार आवंटन के लिए भूमि उपलब्ध है।]

[3][परन्तु यह और कि उपनिवेशन आयुक्त उन पात्र व्यक्तियों, जिन्हें भूमि की अनुपलब्धता के कारण भूमि आवंटित नहीं की जा सकी हो, के आवेदन, उसी जिले के एक आवंटन प्राधिकारी से दूसरे आवंटन प्राधिकारी, जहां नियमों के अधीन उनकी पूर्विकता के अनुसार आवंटन के लिए भूमि उपलब्ध है, को अन्तरित कर सकेगा :

---

1. अधिसूचना सं. एफ. 4(2) उपनि./92, दिनांक 11.10.1995 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. अधिसूचना सं. एफ. 19(27) राजस्व/उपनि./75, दिनांक 15.07.1976 द्वारा जोड़ा गया।
3. अधिसूचना सं. एफ. 3(46) राजस्व/उपनि./83, दिनांक 18.03.1999 द्वारा अन्तःस्थापित।

परन्तु यह और भी कि उपनिवेशन आयुक्त राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन लेने के पश्चात् उन पात्र व्यक्तियों, जिन्हें भूमि की अनुपलब्धता के कारण भूमि आवंटित नहीं की जा सकी हो, के आवेदन एक जिले के किसी आवंटन प्राधिकारी से दूसरे जिले के किसी अन्य आवंटन प्राधिकारी, जहां नियमों के अधीन उनकी पूर्विकता के अनुसार आवंटन के लिये भूमि उपलब्ध है, को अन्तरित कर सकेगा।]

[1][(8) आवंटन आदेश आवंटन प्राधिकारी द्वारा आवंटी को विहित प्ररूप-XII में प्राप्ति रसीद सहित पंजीकृत पत्र के द्वारा जारी किया जायेगा। यदि आवंटी आवंटन आदेश की तामील से तीन महिने के भीतर उपस्थित नहीं आता है और आवंटित भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं करता है, तो आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।]

(9) यदि कोई अस्थायी काश्तकार इन नियमों के अधीन भूमि के आवंटन के लिए आवेदन करने में विफल रहता है अथवा किसी भूमि या उसके भाग के आवंटन के लिए उसका आवेदन, आवंटन प्राधिकारी द्वारा नामंजूर कर दिया जाता है, तो ऐसी भूमि या उसके भाग के सम्बन्ध में उसका अस्थायी काश्त पट्टा, ऐसी तारीख की समाप्ति पर, जिस तक आवंटन के लिए आवेदन किया जा सकता था या उस तारीख पर, जिस पर ऐसे आवंटन के लिए उसका आवेदन नामंजूर किया गया है, जैसी भी स्थिति हो पर्यावसित हो जायेगा और ऐसे पट्टे के अन्तर्गत आने वाली सरकारी भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर सरकार को वापिस हो जायेगी और वह तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार ऐसी भूमि से बेदखल किये जाने के लिए दायी होगा।

[2][(10) भूमि का आवंटन सलाहकार समिति के किसी सदस्य को नहीं किया जायेगा।]

## टिप्पणी

भूमि का छोटा टुकड़ा – क्या सामान्य प्रवर्ग के व्यक्तियों को आवंटित किया जा सकता है – अभिनिर्धारित, नियम 13 में कोई उपवर्जन उपबंधित नहीं है, लेकिन यह सामान्य आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिए। *नाथमल बनाम राजस्थान राज्य,* 1993 RRD 760.

आवंटन प्राधिकारी ने ग्रामवासियों से व्यक्तशः जांच की तथा विस्तृत जांच के उपरान्त यह समाधान कर लिया था कि याचीगण भूमिहीन व्यक्ति तथा सद्भाविक कृषक हैं – तत्पश्चात्, पटवारी एवं तहसीलदार ने बिना कोई विस्तृत जांच किये यह रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी कि याचीगण भूमिहीन व्यक्ति तथा सद्भाविक कृषक नहीं थे – पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट पर आवंटन रद्द कर दिये गये – अभिनिर्धारित, आवंटन प्राधिकारी की रिपोर्ट को पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट की अपेक्षा वरीयता दी जानी चाहिए – अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर आवंटनों का रद्द किया जाना अवैध है। *मूल चन्द गेहरा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य,* 2001 RRD 133.

रेस्पोंडेन्ट के पक्ष में किया गया आवंटन इस आक्षेप पर रद्द कर दिया गया कि उसने विक्रय के करार द्वारा भूमि अन्तरित कर दी – अपील में अतिरिक्त कमीश्नर, उपनिवेशन ने रद्दकरण आदेश अपास्त कर दिया तथा मामला रेस्पोंडेन्ट को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त पुनः विनिश्चित करने के लिए प्रतिप्रेषित कर दिया – प्रतिप्रेषण के पश्चात् कार्यवाहियों के दौरान भूमि याची को आवंटित कर दी गयी – अभिनिर्धारित, चूंकि भूमि रिक्त नहीं थी, अतः याची को किया गया आवंटन वैध नही था। *रामेश्वर बनाम भगवानाराम एवं अन्य,* 2002 RRD186.

---

1. अधिसूचना सं. एफ. 4(2) राजस्व / उपनि. / 92, दिनांक 30.06.1993 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं. एफ. 4(15) उपनि. / 92, दिनांक 01.09.1995 द्वारा जोड़ा गया।

आवंटन सलाहकार समिति के परामर्श के बिना विवादित भूमि का आवंटन – अभिनिर्धारित, यह नियम 13 के उल्लंघन में है – अतः आवंटन त्रुटिपूर्ण एवं बिना अधिकारिता के है। *भंवरलाल बनाम राजस्थान राज्य,* 2003 RRD 208.

याची वृत्तिका से दर्जी था – उसने ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की कि वह सद्भाविक कृषक था – अभिनिर्धारित, परिस्थितियों के अधीन उसका आवेदन नामंजूर किया जाना बिना किसी आधार के नहीं था। *नाथूराम बनाम राजस्थान राज्य,* 1984 RRD 387.

याची के पिता को अस्थायी आधार पर 48 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवंटित की गयी – उक्त 48 बीघा 10 बिस्वा में से 25 बीघा भूमि का स्थायी आवंटन कर दिया गया – शेष 23 बीघा 10 बिस्वा भूमि के आवंटन के लिए याची के वयस्क पुत्र एवं पुत्री द्वारा नियम 13(5)(ख) के अधीन आवेदन प्रस्तुत किया गया – उप-खण्ड अधिकारी ने आवेदन इस आधार पर नामंजूर कर दिया कि याची के पुत्र एवं पुत्री 01.01.1985 को वयस्क नहीं थे – अभिनिर्धारित, आदेश में कोई विधिक या अधिकारिता सम्बन्ध त्रुटि नहीं है। ***राज कौर एवं अन्य बनाम गुरदीप सिंह एवं अन्य,*** 2004 RRD 791.

पिता को आवंटन के लिए पात्र नहीं पाया गया – उसके वयस्क पुत्र को आवंटन – अभिनिर्धारित, अभिव्यक्ति "उसके पिता को भूमि के आवंटन के पश्चात्" प्रकट करती है कि कोई वयस्क पुत्र आवंटन के लिए तभी पात्र होता है, जब उसका पिता पात्र पाया गया हो। यदि स्वयं पिता ही आवंटन के लिए पात्र नहीं है, तो पिता के अस्थायी काश्त पट्टा के अधीन की कोई भूमि उसके वयस्क पुत्र को आवंटित नहीं की जा सकती। *रामलाल बनाम राज्य,* 1979 RRD 576.

पिता को उसके अस्थायी काश्त पट्टा के अधीन की भूमि में से कोई भूमि आवंटित नहीं की गयी – अभिनिर्धारित, वयस्क पुत्र को आवंटन के लिए अधिशेष भूमि उपलब्ध होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। ***बलदेव सिंह बनाम राजस्थान राज्य,*** 1983 RRD 808.

जी की अधिशेष भूमि से प्रत्यर्थी सं. 4 से 10 के पक्ष में भूमि का आवंटन – प्रत्यर्थी सं. 4 से 10 जी के पुत्र – याची इस आधार पर किसी आवंटन का दावा नहीं कर सकती थी कि जी उसका भाई था – यदि भूमि के स्थाई आवंटन के सम्बन्ध में याची का कोई दावा है, तो उसे घोषणा हेतु सिविल वाद प्रस्तुत करना चाहिए – अभिनिर्धारित, राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकारिता की त्रुटि से ग्रसित नहीं है। ***रोशनी (मुस्त.) बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य,*** 2010(3) DNJ (Raj.) 1162 : 2010 WLC (Raj.) UC 533 : 2010 RRJ 666.

नियम 13(ए) – याचिका खारिज की – स्पेशल अपील – भूमि का आवंटन – अपीलाण्ट ने प्रभाव में रहे नियमों के अनुसार रूपान्तरण शुल्क अदा किया – संशोधित नियम 13(ए) जो कि प्रभाव में 4.2.1992 को आया, के अनुसार शुल्क की मांग अवैध है – संशोधन भविष्यलक्षी है। ***Asraf Ali Vs. State of Rajasthan & Ors. [D.B.],*** **2012(4) CDR 2249 (Raj.)** : 2012 WLC (Raj.) UC 772

[1][**13-क. विशेष आवंटन द्वारा विक्रय** – [2][(1) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी भूमियां, जिन्हें विशेष आवंटन द्वारा विक्रय किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त शासकीय राज-पत्र में अधिसूचित किया जाये, ऐसे व्यक्तियों को आवंटित की जा सकेगी, जो इन नियमों के नियम 7 के उप-नियम (1) में दी गयी पूर्विकता के क्रम में ऐसे आवंटन के लिए पात्र हैं और जहां कोई ऐसा व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो, तो उप-नियम (1-क) में यथावर्णित पूर्विकता के अनुसार तथा कृषि जोतों पर राजस्थान अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 (1973 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) के अधीन आवंटी पर लागू अधिकतम सीमा क्षेत्र के अध्यधीन रहते हुए, अन्य ऐसे व्यक्ति को, जो एक सद्भाविक कृषक एवं आवेदन की तारीख से बीस वर्ष की अन्यून कालावधि से राजस्थान का

---

1. अधिसूचना सं. एफ. 4(10) राजस्व/उपनि./75, दिनांक 20.02.1980 द्वारा जोड़ा गया।
2. अधिसूचना सं. एफ. 4(11) उपनि./1981, दिनांक 17.01.2000 द्वारा प्रतिस्थापित।

सद्भाविक निवासी रहा हो, को ऐसे नियत मूल्य पर आवंटित की जा सकेगी, जो कि ऐसी अधिसूचित भूमियों के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर शासकीय राज-पत्र में अधिसूचित की जायेगी।]

[1][परन्तु यह कि राज्य सरकार भूमि तथा भूमि का मूल्य अधिसूचित करने के लिए प्रस्ताव पर विचार करने हेतु एक समिति का गठन कर सकेगी, यदि राज्य सरकार द्वारा ऐसी समिति गठित की जाती है, तो भूमि तथा भूमि का मूल्य अधिसूचित करने के लिए प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा जायेगा। समिति के अनुमोदन के पश्चात् आयुक्त उपनिवेशन/सम्बन्धित कलक्टर, जैसी भी स्थिति हो, विशेष आवंटन के द्वारा विक्रय की जाने वाली भूमि तथा भूमि का मूल्य अधिसूचित करेगा।]

[2][(1-क) अन्य व्यक्तियों, जो सद्भाविक कृषक एवं [3][20 वर्ष से अन्यून कालावधि से] राजस्थान के सद्भाविक निवासी रहे हैं, की दशा में आवंटन की पूर्विकता निम्नानुसार होगी :–

(क) उस जिले का निवासी, जिसमें आवंटित की जाने वाली भूमि स्थित है,

(ख) पूर्विकता (घ) में वर्णित व्यक्तियों को अपवर्जित करते हुए पड़ौसी जिले का निवासी,

(ग) पूर्विकता (घ) में वर्णित व्यक्तियों को अपवर्जित करते हुए राजस्थान के अन्य जिले का निवासी,

(घ) वृहद् या मध्यम सिंचाई परियोजना के अधीन के किसी क्षेत्र से सम्बन्धित तहसील के उपनिवेशित भाग के व्यक्ति।]

(2) *नोटिस का जारी एवं प्रकाशन किया जाना* – (i) अधिसूचित मूल्य पर विशेष आवंटन के द्वारा विक्रय के लिए राज्य सरकार [4][या आयुक्त उपनिवेशन/सम्बन्धित कलक्टर, जैसी भी स्थिति हो] द्वारा शासकीय राज-पत्र में अधिसूचना जारी किये जाने के तुरन्त पश्चात्, आवंटन प्राधिकारी अपने हस्ताक्षरों के अधीन प्ररूप-XVIII में सार्वजनिक सूचना जारी करेगा, जिसमें नियत किये गये समय के भीतर, जो ऐसी सूचना जारी किये जाने की तारीख से तीस दिन से कम का नहीं होगा, विशेष आवंटन हेतु आवेदन आमंत्रित करेगा। आवंटन प्राधिकारी द्वारा आवेदन आमन्त्रित किये जाने के नियत समय को, जब भी आवश्यक हो, उसके द्वारा बढ़ाया जा सकेगा।

[5][(ii) सूचना की अन्तर्वस्तु विषय की उस परिक्षेत्र में, जिसमें विशेष आवंटन के द्वारा विक्रय किये जाने के लिए प्रस्तावित भूमि स्थित है, निम्नलिखित तरीकों से व्यापक जानकारी दी जायेगी :–

(क) ऐसी भूमि पर या उसके निकट किसी सुविधाजनक स्थान पर और परिक्षेत्र के अन्य सहज दृश्य सार्वजनिक स्थानों पर उसकी प्रतिलिपियां चिपकायी जाकर

(ख) मुनादी के द्वारा प्रचारित कर; और

(ग) परिक्षेत्र में व्यापक प्रचलन रखने वाले किन्हीं दो समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर।]

---

1. अधिसूचना सं. एफ. 4(17) उपनि./97, दिनांक 12.07.2001 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. अधिसूचना सं. एफ. 4(2) उपनि./92, दिनांक 03.01.1995 द्वारा अन्तःस्थापित।
3. अधिसूचना सं. एफ. 4(11) उपनि./1981, दिनांक 17.01.2000 द्वारा जोड़ा गया।
4. अधिसूचना सं. एफ. 4(17) उपनि./97, दिनांक 12.07.2001 द्वारा जोड़ा गया।
5. अधिसूचना सं. एफ. 4(3) उपनि./2009, दिनांक 20.09.2011 द्वारा प्रतिस्थापित।

(iii) जहां आवंटन प्राधिकारी राजस्व जिले का कलक्टर न हो, तो ऐसी सूचना की एक प्रति कलक्टर के कार्यालय के सूचना-पट्ट पर चिपकाने के लिए जिले के कलक्टर को भी भेजी जायेगी।

(3) *आवंटन के लिए आवेदन* – (i) उप-नियम (2) के अधीन जारी की गई सार्वजनिक सूचना में नियत किये गये समय के भीतर या ऐसे समय के भीतर, जो आवंटन प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर बढ़ाया जाये, इस नियम के अधीन आवंटन के लिए पात्र कोई व्यक्ति, क्षेत्र के आवंटन प्राधिकारी को या उपनिवेशन आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को [1][ऐसे प्ररूप, जो राज्य सरकार द्वारा राजकीय राज-पत्र में विनिर्दिष्ट किया जाये,] में आवेदन प्रस्तुत करेगा :

[2][परन्तु आवंटन प्राधिकारी इस प्रकार विनिर्दिष्ट समय की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त किसी आवेदन पर लिखित में लेखबद्ध किये गये कारणों से विचार कर सकेगा।]

(ii) उप-नियम (3) के खण्ड (i) के अधीन किया गया आवेदन, आवेदक द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियग सं. V) के उपबंधों के अनुसार एक वाद-पत्र की भांति सत्यापित किया जायेगा।

(iii) आवेदक अपने आवेदन के साथ किसी मजिस्ट्रेट या शपथ आयुक्त द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित एक शपथ-पत्र इस आशय का फाइल करेगा कि उसके निवास के स्थायी स्थान, आजीविका के साधन, उसकी भूधृति की मात्रा, यदि कोई हो, और अन्य विवरणों के सम्बन्ध में उस द्वारा अपने आवेदन में दी गयी तथ्यात्मक सूचना उसके सर्वोत्तम ज्ञान या विश्वास से सत्य हैं।

[3][x x x x]

(4) *आवेदन पर जांच एवं रिपोर्ट* – (i) आवेदन प्राप्त होने पर, आवंटन प्राधिकारी तत्काल उसे उसके कार्यालय में प्ररूप-XX में संधारित किये जाने वाले रजिस्टर में दर्ज करेगा तथा आवेदक को प्ररूप-XXI में एक रसीद जारी करेगा।

(ii) आवंटन प्राधिकारी आवेदनों एवं संलग्न शपथ-पत्रों की संवीक्षा करेगा तथा आवेदन में वर्णित विवरणों का, राजस्व अभिलेखों में की सुसंगत प्रविष्टियों के संदर्भ में, सत्यापन करेगा और ऐसी जांच करेगा या करायेगा, जो वह अपने समाधान के लिए आवश्यक समझे।

(iii) आवेदक द्वारा दी गयी सूचना की सत्यता के बारे में अपना समाधान कर लेने के पश्चात्, आवंटन प्राधिकारी आवेदनों को नियम 7 के उप-नियम (1) में उपबंधित आवंटन के लिए पूर्विकता के अनुसार क्रमवार व्यवस्थित करेगा। वह तत्पश्चात् आवेदनों को विनिश्चित करने के लिए तारीख, समय और स्थान नियत करेगा तथा अपने कार्यालय के सूचना-पट्ट पर इस आशय की एक सूचना चिपकायेगा। ऐसी सूचना 7 दिन से कम की नहीं होगी। आवंटन प्राधिकारी, इस प्रकार नियत की गयी तारीख एवं समय पर [4][सलाहकार समिति के परामर्श से आवेदनों के बारे में विनिश्चय करेगा। सलाहकार समिति का गठन एवं सलाहकार समिति की बैठक की गणपूर्ति इस नियमों के नियम 13 के अधीन यथा उपबंधित होगी।]

---

1. अधिसूचना सं. एफ. 4(11) उपनि./98, दिनांक 16.08.1999 द्वारा और पुनः अधिसूचना सं. एफ. 4(11) उपनि/1981, दिनांक 17.01.2000 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं. एफ. 4(9) राजस्व/उपनि./87 दिनांक 22.09.1988 द्वारा जोड़ा गया।
3. अधिसूचना सं. एफ. 4(9) राजस्व/उपनि./87 दिनांक 22.09.1988 द्वारा हटाया गया।
4. अधिसूचना सं. एफ. 4(2) राजस्व/उपनि./92, दिनांक 12.03.1992 द्वारा अन्तःस्थापित।

(iv) यदि किसी समय यह प्रकट हो कि किसी आवेदक द्वारा दी गयी सूचना मिथ्या है या कोई आवंटी भूमि पर व्यक्तिगत रूप से काश्त करने में विफल रहा है, तो सम्पूर्ण आवंटित भूमि किसी प्रतिकर का संदाय किये बिना आवंटन प्राधिकारी द्वारा अभिग्रहीत की जा सकेगी।

(5) (i) आवेदक, आवंटन प्राधिकारी द्वारा उसका आवेदन विचारार्थ लिये जाने से पूर्व अधिसूचित मूल्य की [1][500 रूपये की] राशि अग्रिम धनराशि के रूप में जमा करायेगा।

[2][(ii) अधिसूचित मूल्य का 25 प्रतिशत आवंटी द्वारा आवंटन आदेश जारी किये जाने के समय संदत्त किया जायेगा तथा अधिसूचित मूल्य का [3][10] प्रतिशत उसे आवंटित की गई भूमि का वास्तविक कब्जा लेने से पूर्व उसके द्वारा संदत्त किया जायेगा।

(iii) शेष [4][60%] [5][पांच समान किश्तों] में वसूल किया जायेगा। यदि आवंटन आदेश उस वर्ष की 30 जून से पूर्व जारी किया जाता है, तो प्रथम किश्त उसके ठीक पश्चात् आने वाले वर्ष की पहली जनवरी को और यदि आवंटन आदेश .वर्ष की पहली जुलाई और 31 दिसम्बर के मध्य जारी किया जाता है, तो प्रथम किश्त उसके ठीक पश्चात् आने वाले वर्ष की पहली जुलाई को देय होगी। [6][दूसरी, तीसरी, चौथी एवं पांचवीं किश्तें क्रमशः पूर्ववर्ती किश्त के एक वर्ष के पश्चात् देय होंगी।]

उस आवेदक, जो मुकरता है तथा आवंटन के समय नियमों में यथाविहित अधिसूचित मूल्य जमा नहीं कराता है, की अग्रिम धनराशि राज्य सरकार द्वारा समपहृत कर ली जायेगी।

[7][परन्तु यह कि यदि आवंटी आवंटन आदेश जारी किये जाने के समय उसे आवंटित भूमि का पूर्ण मूल्य एक मुश्त जमा करा देता है, तो आवंटी को आवंटित भूमि के मूल्य की 15% की छूट अनुज्ञात होगी।]

[8][परन्तु यह कि यदि कोई आवंटी आवंटन आदेश में यथा विहित देय तारीख पर कोई किश्त जमा कराने में विफल रहता है, तो आवंटन बिना किसी सूचना के रद्द समझा जायेगा।]

[9][परन्तु यह और कि यदि आवंटी अपनी बकाया सभी या कुछ किश्तें उनके देय होने की तारीख से कम से कम 12 माह पूर्व जमा करा देता है, तो ऐसी प्रत्येक अग्रिम जमा की गयी किश्तों पर 4% वार्षिक की दर से छूट देय होगी।]

[10][(iii-क) दूसरे प्रक्रम में विशेष आवंटन के लिए, अधिसूचित कीमत का 20 प्रतिशत आवंटिती द्वारा आवंटन आदेश के जारी होने के समय संदत्त किया जायेगा और

---

1. अधिसूचना सं. एफ. 4(9) राजस्व/उपनि./87 दिनांक 22.09.1988 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं. एफ. 4(10) राजस्व/उपनि./75, दिनांक 20.08.1981 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना सं. एफ. 4(10) राजस्व/उपनि./75, दिनांक 25.11.1983 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. अधिसूचना सं. एफ. 4(10) राजस्व/उपनि./75, दिनांक 25.11.1983 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. अधिसूचना सं. एफ. 4(8) उपनि./98, दिनांक 12.10.2000 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. अधिसूचना सं. एफ. 4(8) उपनि./98, दिनांक 12.10.2000 द्वारा प्रतिस्थापित।
7. अधिसूचना सं. एफ. 4(2) उपनि./92, दिनांक 22.07.1995 द्वारा जोड़ा गया।
8. अधिसूचना सं. एफ. 4(2) उपनि./92, दिनांक 01.03.1996 द्वारा जोड़ा गया।
9 अधिसूचना सं. एफ. 4(11) उपनि./98, दिनांक 20.05.2009 द्वारा अन्तःस्थापित।
10. अधिसूचना सं. एफ. 4(1) उपनि./2001, दिनांक 28.11.2004 द्वारा अन्तःस्थापित।

उसके पश्चात् उसे वास्तविक कब्जा दे दिया जायेगा और शेष 80 प्रतिशत रकम आवंटिती से [1][बारह समान वार्षिक किश्तों] में वसूल की जायेगी। नियम 13-क की अन्य शर्तें वही रहेंगी, जो उक्त नियम में विहित हैं।]

[2][(iv) एक ही भूखण्ड के आवंटन के लिए आवदेन करने वाले एक ही प्रवर्ग के एक से अधिक पात्र व्यक्तियों की दशा में आवंटन इन व्यक्तियों के मध्य [3][मुहरबन्द बोली] के द्वारा किया जायेगा, किन्तु उच्चतम बोली आंवटन प्राधिकारी द्वारा मंजूर नहीं की जायेगी यदि यह नियम 13(क) के अधीन किसी चक के लिए यथा अधिसूचित अधिकतम मूल्य से कम है।]

[4][परन्तु यह कि ऐसे आवेदकों, जिन्हें उपर्युक्त प्रक्रिया के कारण भूमि आवंटित नहीं की जा सकी हो, को उन भूमियों, जिन्हें पूर्व में अधिसूचित किया गया था तथा जिन भूमियों के आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित किये गये थे, में से वैकल्पिक अनावंटित भूमि आवंटित की जा सकेगी, यदि ऐसी अनावंटित भूमि के आवंटन के लिए अन्य आवेदकों के कोई आवेदन लम्बित नहीं हों।]

[5][(v) x x x x]

(vi) आवंटन के पूर्ण हो जाने के पश्चात् अनावंटी आवेदकों को अग्रिम धनराशि तत्काल लौटा दी जायेगी।

[6][(vii) [7][यदि 21 जनवरी, 1992 को या उसके पश्चात्, अनकमाण्ड भूमि के रूप में आवंटित की गयी कोई सरकारी भूमि बाद में कमाण्ड भूमि बन जाती है,] तो आवंटी या उसका अन्तरिती, जिसमें भूमि पर काबिज पश्चात्वर्ती अन्तरिती भी शामिल है, जैसी भी स्थिति हो, अनकमाण्ड भूमि के नियम 13-क(1) के अधीन उसी चक में निकटतम कमाण्ड भूमि के लिए नियत मूल्य, और यदि अनकमाण्ड भूमि के प्रारंम्भिक आवंटन के समय इस नियम के अधीन उसी चक में कमाण्ड भूमि का मूल्य नियत नहीं किया गया है, तो निकटतम चक में कमाण्ड भूमि का मूल्य, प्रारंभिक आवंटन की तारीख से भूमि के कमाण्ड भूमि बनने तक 15 प्रतिशत वार्षिक बढ़ाते हुए राज्य सरकार को संदाय करेगा, जिसमें से ऐसा मूल्य, जो उसने अनकमाण्ड भूमि के लिए पहले ही संदत्त कर दिया है, कम किया जायेगा।]

[8][[9][(viii-क)] यदि कमाण्ड भूमि के रूप में आवंटित कोई भूमि बाद में, इसका मूल्य पूर्ण रूप से संदत्त किये जाने से पूर्व, किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनकमाण्ड भूमि घोषित कर दी जाती है, तो ऐसी भूमि का वह मूल्य प्रभारित किया जायेगा, जो अनकामाण्ड भूमि के लिए देय है तथा पहले से संदत्त की गयी राशि ऐसे मूल्य में समायोजित की जायेगी, अधिक संदत्त की गयी राशि प्रतिसंदत्त किये जाने योग्य होगी।

---

1 अधिसूचना सं. एफ. 4(1) उपनि./2001, दिनांक 13.05.2005 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं. एफ. 4(9) राजस्व/उपनि./87 दिनांक 22.09.1988 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना सं. एफ. 3(57) उपनि./95 भाग VI, दिनांक 09.11.1999 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. अधिसूचना सं. एफ. 4(29) उपनि./99, दिनांक 20.01.2000 द्वारा जोड़ा गया।
5. अधिसूचना सं. एफ. 4(9) राजस्व/उपनि./87 दिनांक 22.09.1988 द्वारा हटाया गया।
6. अधिसूचना सं. एफ. 3(92) उपनि./91, दिनांक 21.01.1992 द्वारा जोड़ा गया।
7. अधिसूचना सं. एफ. 4(3) उपनि./2009, दिनांक 13.07.2009 द्वारा प्रतिस्थापित।
8. अधिसूचना सं. एफ. 4(2) उपनि./92, दिनांक 19.02.1997 द्वारा जोड़ा गया।
9. अधिसूचना सं. एफ. 4(2) उपनि./2008, दिनांक 15.02.2010 द्वारा पुनःसंख्यांकित।

अनकमाण्ड भूमि का मूल्य उसी चक या निकटतम चक में की समान प्रकृति की अनकमाण्ड भूमि की दर के आधार पर, देय हो चुकी लेकिन जमा नहीं करायी गयी किश्तों पर [1][12% प्रतिवर्ष ब्याज सहित एकमुश्त] निर्धारित किया जायेगा।]

[2][**स्पष्टीकरण – "मुहरबन्द बोली"** से प्ररूप सं. 23 में आवेदन अभिप्रेत है।]

[3][[4][(viii-ख)] यदि किसी आवंटिती को भूमि का आवंटन इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार भूमि की कीमत की असंदाय के लिए रद्द किया गया है या रद्द किया गया समझा गया है, तो यदि आवंटिती आवंटन के रद्दकरण की तारीख या आवंटन का रद्दकरण समझे जाने की तारीख या इस अधिसूचना की तारीख से छः महिने के भीतर आवेदन करता है, तो असंदत्त कीमत 12% प्रतिवर्ष ब्याज सहित एकमुश्त संदाय करने पर आवंटन प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।]

[5][(ix) जहां किसी आवंटिती को भूमि का आवंटन इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार भूमि की कीमत के असंदाय के लिए रद्द किया गया है या रद्द किया गया समझा गया है और भूमि किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित नहीं की गयी है, वहां आवंटन प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा, यदि आवंटिती भूमि की शेष असंदत्त कीमत (बिना किसी ब्याज के) [6][31.12.2013] तक एकमुश्त रकम के रूप में निक्षिप्त करा देता है।]

## टिप्पणी

नियम 13-क(5)(iii) – रद्दकरण समझा जाना – यदि आवंटित भूमि का मूल्य संदत नहीं किया जाता है, तो आवंटन निरस्त हो जाता है – तथापि, आवंटन के रद्दकरण का आदेश आवंटियों को सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात् पारित किया जाना चाहिए। *राणा राम बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य,* 1998 RRD 311.

याची एवं 2 अन्यों ने नियम 13-क के अधीन विशेष आवंटन के द्वारा भूमि के विक्रय के लिए आवेदन प्रस्तुत किये – भूमि को नीलामी के द्वारा निस्तारित किये जाने का निर्णय लिया गया – याची, यद्यपि नीलामी में भाग लेने का पात्र था, को सूचना नहीं दी गयी – उच्चतम बोलीदाता ने पट्टा एवं कब्जा प्राप्त कर लिया – अपील में मामला पुनः नीलामी के लिए प्रतिप्रेषित किया गया – पुनरीक्षण में राजस्व मण्डल ने आदेश कोई कारण दिये बिना अपास्त कर दिया – अभिनिर्धारित, राजस्व मण्डल ने एक अपील न्यायालय के रूप में कार्य करके अधिकारिता सम्बन्धी त्रुटि की है – आक्षेपित आदेश अपास्त किया गया। ***दुर्गा देवी बनाम राजस्व मण्डल एवं अन्य,*** 1999(2) DNJ (Raj.) 583 : 1999 (2) WLN 622 : 1999 (2) RLR 713 : RLW 1999 (3) Raj. 1489 : 2000 (1) WLC (Raj.) 462 : 1999 RRD 602 : 1999 RBJ 526.

नियम 13-क के अधीन भूमि का आवंटन – आवंटन को इस आधार पर चुनौती दी गयी कि यह सार्वजनिक गजट में अधिसूचना प्रकाशित किये बिना किया गया था – राजस्व मण्डल ने यह अभिनिर्णीत किया कि इस तकनीकी गलती के आधार पर आवंटन रद्द नहीं किया जा सकता – अभिनिर्धारित, राजस्व मण्डल ने कोई त्रुटि कारित नहीं की है। रिट याचिका खारिज की गयी। ***राजस्थान राज्य बनाम कौशल्या देवी आदि,*** 1999(1) DNJ (Raj.) 140. 1999 RBJ 227 : 2000 RRD 90.

---

1. अधिसूचना सं. एफ. 4(1) उपनि./2001, दिनांक 28.11.2004 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं. एफ. 4(19) उपनि./99, दिनांक 09.11.1999 द्वारा अन्तःस्थापित।
3. अधिसूचना सं. एफ. 4(1) उपनि./2001, दिनांक 17.12.2005 द्वारा अन्तःस्थापित।
4. अधिसूचना सं. एफ. 4(2) उपनि./2008, दिनांक 15.02.2010 द्वारा पुनःसंख्यांकित।
5. अधिसूचना सं. एफ. 4(2) उपनि./2008, दिनांक 06.11.2012 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. अधिसूचना सं. एफ. 14(8) उपनि./2009, दिनांक 29.05.2013 द्वारा प्रतिस्थापित।

किश्तों के विलम्बित संदाय के लिए ब्याज – जब राशि देय हुई उस तारीख को ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, जो राज्य सरकार को असंदत्त राशि पर ब्याज प्रभारित करने के लिए सक्षम बनाता हो – ब्याज प्रभारित करने से सम्बन्धित प्रावधान 01.03.1996 से शामिल किये गये थे – अभिनिर्धारित, 01.03.1996 से ब्याज प्रभारित किये जाने योग्य है, जब राज्य सरकार को ब्याज वसूल करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। *माना राम एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य,* 2000(1) DNJ (Raj.) 415 : 2000 (3) RLR 100 : 2000 (1) WLN 328 : 2000(1) RRT 167 : 2000 WLC (Raj.) UC 423 : RLW 2000 (2) Raj. 1326 : 2000 RRJ 257 : 2000 RRD 472.

याची को नियम 13-क के अधीन किया गया भूमि का आवंटन इस आधार पर रद्द कर दिया कि याची एक सद्भाविक कृषक नहीं था – याची ने 1992 में आवंटन के आवेदन किया था, जबकि नियम 13-क में सद्भाविक कृषक की शर्त 15.07.1993 से जोड़ी गयी थी – अभिनिर्धारित, उपरोक्त आधार पर आवंटन का रद्दकरण वैध नहीं है। *शान्ती बनाम राजस्थान राज्य,* 2002 RRD 106.

बेरोजगार कृषि स्नातक को भूमि का आवंटन – आवंटी बाद में नियोजित हो गया – अभिनिर्धारित, वह भूमि को धारित करने का अधिकारी नहीं है, यदि वह आवंटन की तारीख से पांच वर्ष के भीतर नियोजन प्राप्त कर लेता है। *नरेन्द्र कुमार बनाम राजस्व मण्डल,* 2004(1) ILR (Raj.) 324.

नियम 13-क – आवंटन का रद्द करना – आवंटन के बाद प्रार्थी ने राशि का 35% जमा कराया और सनद जारी की – आयुक्त ने इस आधार पर आवंटन रद्द किया कि आवंटित भूमि राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित नहीं थी – राजस्व मण्डल ने 5 व्यक्तियों के विरूद्ध पारित समरूप आदेश निर्णय दिनांक 25.08.1993 द्वारा अपास्त किया गया – दो विरोधाभासी निर्णय – अभिनिर्णित, निचले न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय अपास्त किये। *श्री राम कुमार बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य,* 2007(2) DNJ (Raj.) 904.

नियम 13-क तथा 17(8) – भूमि का आवंटन – रद्दकरण – वैधता – उपखण्ड अधिकारी ने प्रार्थी का भूमि का आवंटन इस आधार पर रद्द कर दिया कि प्रार्थी 2,44,616/– रू. की बकाया राशि जमा कराने में विफल रहा – भूमि के गैर कमाण्ड क्षेत्र से कमाण्ड क्षेत्र में परिवर्तित किये जाने के बाद भूमि की कीमत निर्धारित किये जाने से पहले प्रार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया – अभिनिर्णित, उप-खण्ड अधिकारी द्वारा पारित रद्दकरण आदेश अपास्त किया तथा मामले को प्रत्यर्थियों को इस निर्देश के साथ लौटाया कि प्रार्थी को नये नोटिस जारी किये जायें तथा उसे सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् कीमत निर्धारित की जाये। *राम लाल बनाम राज्य एवं अन्य,* 2007(2) DNJ (Raj.) 918.

नियम 13-क – का विस्तार – नियम 13-क के अन्तर्गत पदावली "निर्धारित कीमत" के अर्थ को केवल एक स्तर तक निर्धारित कीमत तक निर्बन्धित नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके क्षेत्र तथा विस्तार में वार्षिक आधार पर प्रतिशत वृद्धि भी शामिल है। *रेनू (श्रीमती) बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य,* 2008(2) DNJ (Raj.) 991.

नियम 13-क – प्राइवेट प्रत्यर्थियों को भूमि का आवंटन पटवारी व तहसीलदार की रिपोर्ट पर कि वे सद्भावी भूमिहीन काश्तकार नहीं हैं, निरस्त किया – सद्भावी भूमिहीन काश्तकार होना पाया – रिपोर्ट्स सन्तोषप्रद नहीं हैं – उचित जांच नहीं की तथा रिपोर्ट गांववासियों के मौखिक बयानों पर आधारित है – अभिनिर्णित, आदेश अपास्त किये तथा मामला कमिश्नर (उपनिवेशन) को स्वतन्त्र जांच करने हेतु प्रतिप्रेषित किया और आवंटी यदि सद्भावी भूमिहीन कृषक है, तो क्या आवंटन कायम रहेगा। *राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम दीप चन्द,* 2010(1) DNJ (Raj.) 102 [D.B.].

नियम 13-क – आवंटन इस आधार पर निरस्त किया कि भूमि अधिसूचित नहीं थी – चक नं. 18बीएलडी की भूमि के लिये आवेदन पेश किया, लेकिन खारिज हुआ, तब याची ने 26.04.1989 को चक नं. 19बीएलडी की भूमि आवंटन हेतु आवेदन पेश किया – तीनों न्यायालयों के निष्कर्ष रिकार्ड के प्रतिकूल हैं – चक नं. 19बीएलडी की भूमि सम्यक् रूप से जनता को आवंटन हेतु अधिसूचित की – याची ने भूमि की सम्पूर्ण राशि जमा कराई और इसे विकसित किया

– अभिनिर्णित, आदेश अपास्त किये तथा आवंटन आदेश बहाल किया। *भोपाल सिंह बनाम राजस्व मण्डल एवं अन्य,* 2010(1) DNJ (Raj.) 118 [D.B.].

नियम 13क – प्राइवेट रेस्पोण्डेण्ट्स को भूमि का आवंटन पटवारी व तहसीलदार की रिपोर्ट पर कि वे सद्भावी भूमिहीन काश्तकार नहीं है, निरस्त किया – आवंटित प्राधिकारी ने जांच की और उन्हें सद्भावी भूमिहीन काश्तकार होना पाया – रिपोर्ट्स सन्तोषप्रद नहीं हैं – उचित जांच नहीं की तथा रिपोर्ट गांववासियों के मौखिक बयानों पर आधारित हैं – निर्णित, आदेश अपास्त किये तथा मामला कमिश्नर (उपनिवेशन) को स्वतन्त्र जांच करने हेतु प्रतिप्रेषित किया और आवंटी यदि सद्भावी भूमिहीन कृषक हैं तो क्या आवंटन कायम रहेगा। ***State of Rajasthan & Ors. Vs. Deep Chand [D.B.],*** **2010(1) DNJ (Raj.) 103** : 2010(2) CDR 1220 (Raj.) : 2010 RBJ 219 : 2010(1) RRT 225

नियम 13क – आवंटन इस आधार पर निरस्त किया कि भूमि अधिसूचित नहीं थी – चक नं. 18बीएलडी की भूमि के लिये आवेदन पेश किया लेकिन खारिज हुआ तब याची ने 26.4.1989 को चक नं. 19बीएलडी की भूमि आवंटन हेतु आवेदन पेश किया – तीनों न्यायालयों के निष्कर्ष रिकार्ड के प्रतिकूल हैं – चक नं. 19बीएलडी की भूमि सम्यक् रूप से जनता को आवंटन हेतु अधिसूचित की – याची ने भूमि की सम्पूर्ण राशि जमा कराई और इसे विकसित किया – निर्णित, आदेश अपास्त किये तथा आवंटन आदेश बहाल किया। ***Bhopal Singh Vs. Board of Revenue & Ors. [D.B.],*** **2010(1) DNJ (Raj.) 118** : 2010(1) WLN 302 (Raj.) : 2010(2) CDR 1000 (Raj.) : 2010 RBJ 229 : 2010(1) RRT 285

नियम 13-क – आवंटन का रद्द करना – आवंटन के बाद प्रार्थी ने राशि का 35% जमा कराया और सनद जारी की – आयुक्त ने इस आधार पर आवंटन रद्द किया कि आवंटित भूमि राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित नहीं थी – राजस्व मण्डल ने 5 व्यक्तियों के विरूद्ध पारित समरूप आदेश निर्णय दिनांक 25.8.1993 द्वारा अपास्त किया गया – दो विरोधाभासी निर्णय – निर्णित, निचले न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय अपास्त किये। ***Shri Ram Kumar Vs. State of Rajasthan & Ors.,*** 2007(2) DNJ (Raj.) 904

नियम 13-क – का विस्तार – नियम 13-क के अन्तर्गत पदावली "निर्धारित कीमत" के अर्थ को केवलएक स्तर तक निर्धारित कीमत तक निर्बन्धित नहीं किया जा सकता बल्कि इसके क्षेत्र तथा विस्तार में वार्षिक आधार पर प्रतिशत वृद्धि भी शामिल है। ***Renu (Smt.) Vs. State of Rajasthan & Anr.,*** **2008(2) DNJ (Raj.) 991**

नियम 13-क तथा 17(8) – भूमि का आवंटन – रद्दकरण – वैधता – उपखण्ड अधिकारी ने प्रार्थी का भूमि का आवंटन इस आधार पर रद्द कर दिया कि प्रार्थी 2,44,616/- रु. की बकाया राशि जमा कराने में विफल रहा – भूमि के गैर कमाण्ड क्षेत्र से कमाण्ड क्षेत्र में परिवर्तित किये जाने के बाद भूमि की कीमत निर्धारित किये जाने से पहले प्रार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया – निर्णित, उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित रद्दकरण आदेश अपास्त किया तथा मामले को प्रत्यर्थियों को इस निर्देश के साथ लौटाया कि प्रार्थी को नये नोटिस जारी किये जाये तथा उसे सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् कीमत निर्धारित की जाये। ***Ram Lal Vs. State & Ors.,*** **2007(2) DNJ (Raj.) 918**

[1][13-ख. नियम 13-क में किसी भी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी उक्त नियम के अधीन विशेष आवंटन द्वारा विक्रय के रूप में आवंटन के लिए पात्र व्यक्ति को 31.12.1992 से पूर्व किये गये भूमि का ऐसा कोई आवंटन, जो इस आधार पर कि इस प्रकार आवंटित की गयी भूमि को यथाअपेक्षित शासकीय राज-पत्र में अधिसूचित नहीं किया गया था, अविधिमान्य हो, नियमन हेतु आवेदन की तारीख पर प्रभावशील विशेष आवंटन की दरों पर संगणित भूमि

1. अधिसूचना सं. एफ. 4(2) उपनि./92, दिनांक 19.02.1997 द्वारा अन्तःस्थापित।

का वर्तमान मूल्य संदाय करने पर कलक्टर/आयुक्त द्वारा नियमित किया जा सकेगा। विशेष आवंटन के लिए वर्तमान दरें उसी या निकट के चक में पूर्व में किये गये आवंटन के समय विशेष आवंटन के लिए अधिसूचित समान मृदा वर्ग की भूमि की दरों को उनमें 15% वार्षिक की अभिवृद्धि की जाकर, विचार में रखते हुए आयुक्त द्वारा निर्धारित की जायेगी। निर्धारित की गयी दर अधिसूचित की जायेगी। ऐसे नियमन के लिए आवेदन उन दरों, जिन पर भूमि का नियमन किया जाना है, की अधिसूचना जारी होने की तारीख से 180 दिनों के भीतर या उस समय तक जो सरकार द्वारा समय-समय पर बढ़ाया जाये, प्रस्तुत किये जायेंगे। पहले से संदत्त की गई राशि, यदि कोई हो, समायोजित की जायेगी, यदि यह भूमि के वर्तमान मूल्य के 35% से अधिक हो और यदि पहले से जमा करायी गयी राशि वर्तमान मूल्य के 35% से कम हो, तो शेष राशि नियमन के आवेदन के साथ जमा करानी होगी। शेष मूल्य नियम 13-क के उप-नियम 5 के खण्ड 3 के प्रावधानों के अनुसार वसूल किया जायेगा :

परन्तु यदि उपर्युक्त आवंटन किसी छोटे टुकड़े का किया जाता है, जो वास्तव में छोटा टुकड़ा नहीं, को भूमि के ऐसे आवंटन का नियमन नहीं किया जायेगा।]

**14. छोटे टुकड़ों का आवंटन –** (1) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होने पर भी सरकारी भूमि का छोटा टुकड़ा ऐसे भूधृति काश्तकार, जिसकी भूधृति भूमि ऐसे टुकड़े से लगी हुई है, को अधिकतम सीमा क्षेत्र के अध्यधीन रहते हुए, पड़ोस की समरूपी मृदा वर्ग की भूमि की [1][सूचक कीमत या आरक्षित कीमत, इनमें से जो भी अधिक हो, की आधी कीमत] पर आवंटित किया जायेगा।

[2][परन्तु यह कि यदि ऐसी लगी हुई भूमि का धारक छोटे टुकड़े के आवंटन के लिए आवदेन करने में विफल रहता है, तो आवंटन प्राधिकारी उसी चक की या निकटस्थ चक के भूधृति काश्तकार को ऐसे छोटे टुकड़े का आवंटन करने की व्यवस्था करेगा।]

[3][(2) यदि उसी छोटे टुकड़े के आवंटन के लिए आवेदन करने वाले ऐसे काश्तकार एक से अधिक हैं, तो आवंटन उसी मुरब्बा के काश्तकार को किया जायेगा।]

[4][(3) छोटे भूखण्ड की कीमत आवंटिती द्वारा [5][चार वार्षिक किश्तों में] संदेय होगी, पहली किश्त आवंटन के चालू वित्तीय वर्ष में आवंटन आदेश के एक पखवाड़े के भीतर संदेय होगी।[6][दूसरी एवं पश्चात्वर्ती किश्तों] के सम्बन्ध में नियत तारीख आगामी वित्तीय वर्ष की वह तत्समान तारीख होगी, जिसको गत वर्ष आवंटन किया गया था। नियत तारीख को किसी किश्त के संदाय में व्यतिक्रम होने पर व्यतिक्रमी से 12% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज प्रभारित किया जायेगा।]

परन्तु यदि ऐसा छोटा टुकड़ा किसी भूमिहीन व्यक्ति को आवंटित किया जाता है, जिसमें उसकी धृति बढ़कर 25 बीघा हो जाये, तो कीमत तथा संदाय की रीति वही होगी, जैसा कि नियम 17 में विहित है :–

[7][परन्तु यह और कि ऐसे भूधृति काश्तकार की दशा में, जिसको इस नियम के अधीन सरकारी भूमि का छोटा टुकड़ा आवंटित किया गया है तथा जो भूमि के ऐसे छोटे टुकड़े की कीमत एक मुश्त और राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी परियोजना क्षेत्र में

1. अधिसूचना सं. एफ. 4(16) उपनि./99, दिनांक 26.11.2004 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं. एफ. 4(9) राजस्व/उपनि./87 दिनांक 22.09.1988 द्वारा जोड़ा गया।
3. अधिसूचना सं. एफ. 4(15) उपनि./92, दिनांक 01.09.1995 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. अधिसूचना सं. एफ. 4(16) उपनि./99, दिनांक 26.11.2004 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. अधिसूचना सं. एफ. 4(16) उपनि./1999, दिनांक 26.05.2007 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. अधिसूचना सं. एफ. 4(16) उपनि./1999, दिनांक 26.05.2007 द्वारा प्रतिस्थापित।
7. अधिसूचना सं. एफ. 4(19) राजस्व/उपनि./83 दिनांक 13.10.1983 द्वारा अन्तःस्थापित।

सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) (संशोधन) नियम 1983 के शासकीय राज-पत्र में प्रकाशन की तिथि से [1][663] दिन के भीतर संदाय करने को तैयार है, उसके द्वारा संदेय कीमत वह होगी, जैसा कि नियम 17 के उप-नियम (1) में उपबन्धित है और जो उक्त नियम के उक्त उप-नियम के अधीन ऐसे छोटे टुकड़े के मृदा वर्ग पर लागू होती है।]

[2][परन्तु यह और भी कि यदि कोई आवंटिती उसे आवंटित भूमि की कुल कीमत का, उस तारीख से पहले, जिसको पहली किश्त देय होती है, एक मुश्त संदाय करता है, तो ऐसे आवंटिती को आवंटित भूमि की कीमत की 10 प्रतिशत छूट अनुज्ञात की जायेगी।]

[3][परन्तु यह भी कि यदि आवंटी अपनी बकाया सभी या कुछ किश्तें उनके देय होने की तारीख से कम से कम 12 माह पूर्व जमा करा देता है, तो ऐसी प्रत्येक अग्रिम जमा की गयी किश्तों पर 4% वार्षिक की दर से छूट देय होगी।]

## टिप्पणी

भूमि नियम 13 के अधीन आवंटित की गयी न कि एक छोटे टुकड़े के रूप में नियम 14(1) के अधीन – अभिनिर्धारित, पड़ौस के खेतों के स्वामियों को सूचना जारी किया जाना आवश्यक नहीं है। *हनुमान के विधिक प्रतिनिधिगण बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य,* 2000 RRD 539 : 2000 RBJ 461 : 2001 (1) RRT 250.

विवादित भूमि 3 बीघा 18 बिस्वा, जो छोटे टुकड़े की परिभाषा में आती है – यह उस काश्तकार को आवंटित की जा सकती है, जिसकी भूमि ऐसे छोटे टुकड़े के निकटस्थ स्थित है – याची की कोई भूमि विवादित भूमि के निकटस्थ नहीं है – विपक्षी निकटस्थ भूमि में ¼ हिस्से का अभिलिखित काश्तकार है – अभिनिर्धारित, आवंटन प्राधिकारी ने विपक्षी के पक्ष में आवंटन आदेश पारित करने में कोई अवैधता या अनियमितता कारित नहीं की है। *कालू राम बनाम दूला राम एव अन्य,* 2002 RRD 188.

पूर्व में याची को 124 बीघा अनकमाण्ड भूमि आवंटित की गयी – तत्पश्चात् याची को विभिन्न अवसरों पर 80 बीघा 10 बिस्वा भूमि छोटे टुकड़ों के रूप में और आवंटित की गयी – छोटे टुकड़ों में आवंटन किये जाने के समय, उप-खण्ड अधिकारी ने याची की कुल भू-धृति का उल्लेख नहीं किया – अभिनिर्धारित, छोटे टुकड़ों में भूमि का आवंटन अवैध था, क्योंकि कुल भू-धृति अधिकतम सीमा से अधिक नहीं हो सकती – नियम 14(1) के प्रावधानों का अनुसरण नहीं किया गया – कलक्टर ने छोटे टुकड़ों का आवंटन सही रूप से रद्द किया है। *चन्दर सिंह बनाम राजस्थान राज्य,* 2004 RRD 44.

8 बीघा भूमि का छोटे टुकड़े के रूप में आवंटन – निकटस्थ खेतों के स्वामियों को सूचना नहीं दी गयी – आवंटन का आदेश अपास्त किया गया तथा नीलामी के द्वारा आवंटन करने के लिए निर्देश दिये गये। *परमाराम बनाम लिच्छीराम एवं अन्य,* 2004 RRD 616.

भूमि का मूल्य जमा किये जाने के बाद आवंटन का रद्दकरण – अभिनिर्धारित, न्यायसंगत नहीं है। *सहीराम बनाम राजस्थान राज्य,* 1998 RRD 172.

छोटा टुकड़ा – आवंटन का तरीका – एक से अधिक दावेदार – लॉटरी के द्वारा आवंटन किया गया – अभिनिर्धारित, यह एक उचित तरीका नहीं है। नीलामी के द्वारा उच्चतम बोलीदाता को आवंटन करने के लिए निर्देश दिये गये। *श्री रामरख बनाम श्री कालूराम एवं अन्य,* 1998 RRC 54.

नियम 14 – भूमि का आवंटन – प्रत्यर्थी संख्या 4, जिसके पक्ष में भूमि का छोटा टुकड़ा आवंटित किया गया, उसके पास भूमि के उस छोटे टुकड़े से लगा कोई खेत नहीं है – प्रार्थियों, जिनके खेत भूमि के छोटे टुकड़े से जुड़े हुए हैं, उनमें से किसी को भी प्रत्यर्थी संख्या 2 ने,

---

1. अधिसूचना सं. एफ. 4(19) राजस्व/उपनि./83, दिनांक 09.10.1985 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं. एफ. 4(16) उपनि./99, दिनांक 29.02.2008 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना सं. एफ. 4(2) उपनि./2005, दिनांक 12.06.2008 द्वारा प्रतिस्थापित।

प्रत्यर्थी संख्या 4 व 5 को भूमि का टुकड़ा आवंटित करने से पहले नोटिस नहीं दिया – अभिनिर्णित, प्रत्यर्थी संख्या 4 व 5 के पक्ष में भूमि के आवंटन का आदेश अपास्त किया – मामले को उपखण्ड अधिकारी को लौटाया कि प्रार्थियों को नोटिस की तामील कराने के बाद प्रश्नगत भूमि के टुकड़े के प्रश्न को विधिनुसार विनिश्चित करे। *राम कुमार एवं अन्य बनाम राजस्व मण्डल, अजमेर एवं अन्य,* 2008(3) DNJ (Raj.) 1189.

नियम 14 – भूमि के छोटे टुकड़े का आवंटन – या तो आवंटन संलग्न भूमि के पट्टेदार काश्तकारों से आवेदन आमन्त्रित कर किया जाना चाहिये या किसी मामले में एक संलग्न पट्टेदार के सिवाय कोई और आवेदन नहीं करे, तो प्राधिकारी पर यह बाध्यकारी होगा कि अन्य संलग्न पट्टेदार काश्तकारों को भी मौका दे तथा आवेदन करने का अवसर दे तथा फिर भी यदि वे आवेदन नहीं करे, तो आवेदक को आवंटन किया जा सकेगा – एक से अधिक आवेदकों के आवेदन किये जाने पर उप-धारा (2) का अवलम्बन लिया जाना चाहिये। *भीका राम बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य,* 2009(3) DNJ (Raj.) 1320 [D.B.].

भूमि के आवंटन का रद्दकरण – प्रश्नगत भूमि राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन आबादी एवं गैर मुमकिन ईंट भट्टा के रूप में अभिलिखित – भूमि के कृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण का कोई प्रस्ताव नहीं – ऐसा कोई विनिश्चय नहीं कि यह कृषि योग्य भूमि थी – अभिनिर्धारित, राजस्व मण्डल द्वारा आवंटन का रद्दकरण सही था। *वेदबक्श बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य,* 2010(4) WLC (Raj.) 650.

नियम 14 – भूमि के छोटे टुकड़े का आवंटन – या तो आवंटन संलग्न भूमि के पट्टेदार काश्तकरों से आवेदन आमंत्रित कर किया जाना चाहिये या किसी मामले मेंएक संलग्न पट्टेदार के सिवाय कोई और आवेदन नहीं करे तो प्राधिकारी पर यह बाध्यकारी होगा कि अन्य संलग्न पट्टेदार काश्तकारों को भी मौका देवे तथा आवेदन करने का अवसर देवे तथा फिर भी यदि वे आवेदन नहीं करे तो आवेदक को आवंटन किया जा सकेगा – एक से अधिक आवेदकों के आवेदन किये जाने पर उपधारा (2) का अवलम्बन लिया जाना चाहिये। ***Bheeka Ram Vs. State of Rajasthan & Ors. [D.B.],*** **2009(3) DNJ (Raj.) 1321**

नियम 14(1), 23(2) – राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा भूमि की छोटी पट्टी का आवंटन निरस्त किया गया – एडवोकेट की गलती के कारण निगरानी पेश करने मेंएक वर्ष का विलम्ब – विलम्ब माफ किया – सभी पड़ौसी काश्तकारों को नोटिस नहीं दिया – निर्णीत, आदेश में अवैधता नहीं है व पुष्ट किया। ***Satpal Singh Vs. State of Rajasthan,*** 2011 RRD 644 : 2011(2) RRT 1347 : 2011(2) RRT 1424

नियम 14 – भूमि का आवंटन – प्रत्यर्थी संख्या 4 जिसके पक्ष में भूमि का छोटा टुकडा आवंटित किया गया उसके पास भूमि के उस छोटे टुकड़े से लगा कोई खेत नहीं है – प्रार्थियों, जिनके खेत भूमि के छोटे टुकड़े से जुड़े हुए है, उनमें से किसी को भी प्रत्यर्थी संख्या 2 ने, प्रत्यर्थी संख्या 4 व 5 को भूमि का टुकड़ा आवंटित करने से पहले नोटिस नहीं दिया – निर्णित, प्रत्यर्थी संख्या 4 व 5 के पक्ष में भूमि के आवंटन का आदेश अपास्त किया – मामले को उपखण्ड अधिकारी को लौटाया कि प्रार्थियों को नोटिस की तामील कराने के बाद प्रश्नगत भूमि के टुकड़े के प्रश्न को विधिनुसार विनिश्चित करे। ***Ram Kumar & Ors. Vs. Board of Revenue, Ajmer & Ors.,*** **2008(3) DNJ (Raj.) 1189**

[1][**14-क. मध्यम टुकड़े का आवंटन** – (1) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, सरकारी भूमि का मध्यम टुकड़ा अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए, उस भू-धृति काश्तकार, जिसकी भू-धृति भूमि ऐसे मध्यम टुकड़े के निकटस्थ है, को [2][सूचक कीमत पर] आवंटित की जा सकेगी :

1. अधिसूचना सं. एफ. 4(16) उपनि./99, दिनांक 15.04.2000 द्वारा जोड़ा गया।
2. अधिसूचना सं. एफ. 4(16) उपनि./99, दिनांक 26.11.2004 द्वारा प्रतिस्थापित।

[1][परन्तु यह कि यदि निकटस्थ भूमि काश्तकार ऐसे मध्यम टुकड़े के आवंटन के लिए आवेदन करने में विफल रहता है, तो आवंटन प्राधिकारी, ऐसा मध्यम टुकड़ा अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए उसी चक या निकटस्थ चक के भू-धृति काश्तकारों को आवंटित कर सकेगा :

परन्तु यह और कि यदि एक ही मध्यम टुकड़े के आवंटन के लिए एक से अधिक काश्तकार आवेदन करते हैं, तो अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए मुहरबन्द बोली के द्वारा उच्चतम बोलीदाता को आवंटन किया जायेगा।]

[2][(2) ऐसे मध्यम भूखण्ड की कीमत आवंटिती द्वारा [3][चार वार्षिक किश्तों] में संदेय होगी, पहली किश्त चालू वित्तीय वर्ष में आवंटन आदेश के एक पखवाड़े की कालावधि के भीतर संदेय होगी। [4][दूसरी एवं पश्चात्वर्ती किश्तों] के सम्बन्ध में नियत तारीख आगामी वित्तीय वर्ष की वह तत्समान तारीख होगी, जिसको आवंटन किया गया था। नियत तारीख को किसी किश्त के संदाय में व्यतिक्रम होने पर व्यतिक्रमी से 12% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज प्रभारित किया जायेगा।]

[5][परन्तु यदि कोई आवंटिती, उसे आवंटित भूमि की कुल कीमत का उस तारीख से पहले, जिसको पहली किश्त देय होती है, एक मुश्त संदाय करता है, तो ऐसे आवंटिती को आवंटित भूमि की कीमत की 10% छूट अनुज्ञात की जायेगी।]

[6][परन्तु यह भी कि यदि आवंटी अपनी बकाया सभी या कुछ किश्तें उनके देय होने की तारीख से कम से कम 12 माह पूर्व जमा करा देता है, तो ऐसी प्रत्येक अग्रिम जमा की गयी किश्तों पर 4: वार्षिक की दर से छूट देय होगी।

[7][**14-ख.** (1) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी और सरकार के विशेष या साधारण निदेशों के अध्यधीन रहते हुए, आवंटन प्राधिकारी, पार्श्वस्थ अगिधारी द्वारा अधिभुक्त लघु और मध्यम भू-खण्ड से किसी अतिचारी को बेदखल करने के बजाय उसे राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपित अधिनियम, 1973 (1973 का राजस्थान अधिनियम सं. 2) के अधीन आवंटिती पर लागू अधिकतम सीमा क्षेत्र के अध्यधीन रखते हुए, ऐसी सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग का कब्जा बनाये रखना अनुज्ञात कर सकेगा :

परन्तु ऐसे अतिचारी का अतिचार की गई भूमि पर 30.6.2004 तक लगातार पांच या अधिक वर्ष तक कब्जा रहा हों।

(2) उप-नियम (1) में उपदर्शित रीति से नियमितिकरण होने पर, अतिचारी इन नियमों के अधीन इस प्रकार नियमित भूमि आवंटित किये हुए समझे जायेंगे और इन नियमों में विहित निबंधनों और शर्तों द्वारा शासित होंगे।

(3) ऐसा अतिचारी नियमितिकरण होने पर, पड़ौस की ऐसी ही मृदा वर्ग की भूमि के लिए [8][राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 2 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुशंषित प्रचलित दर या राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58

---

1. अधिसूचना सं. एफ. 4(10) उपनि./95, दिनांक 10.05.2001 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं. एफ. 4(16) उपनि./99, दिनांक 26.11.2004 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना सं. एफ. 4(16) उपनि./1999, दिनांक 26.05.2007 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. अधिसूचना सं. एफ. 4(16) उपनि./1999, दिनांक 26.05.2007 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. अधिसूचना सं. एफ. 4(16) उपनि./99, दिनांक 29.02.2008 द्वारा जोड़ा गया।
6. अधिसूचना सं. एफ. 4(11) उपनि./98, दिनांक 20.05.2009 द्वारा जोड़ा गया।
7. अधिसूचना सं. एफ. 4(1) उपनि./96 दिनांक 25.11.2004 द्वारा जोड़ा गया।
8. अधिसूचना सं. एफ. 4(5) उपनि./2009, दिनांक 03.09.2009 द्वारा प्रतिस्थापित।

के उप-नियम (1) के अधीन महानिरीक्षक, स्टाम्प द्वारा अनुमोदित दर या राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उप-नियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर, जो भी अधिक हो, से कीमत] संदाय करने के लिये आबद्ध होगा।]

**15. क्षेत्र की संगणना** – (1) जब भूमि दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त परिवार के सदस्यों के रूप में या सहकाश्तकारों के रूप में संयुक्त रूप से धारित की जाती है, तो उनमें से प्रत्येक भूमि के उतने क्षेत्र का धारक समझा जायेगा, जितने का वह विभाजन पर हकदार होता हो।

(2) 15 अक्टूबर 1955 के पश्चात् विक्रय, दान या किसी अन्य रीति से किया गया भूमि का कोई भी अंतरण, जिससे किसी व्यक्ति द्वारा धारित भूमि का क्षेत्र कम होता हो, उसके द्वारा धारित भूमि के क्षेत्र की संगणना करते समय गणना में नहीं लिया जायेगा तथा आवंटन के लिए उसकी पात्रता के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए आवश्यक रूप से यह माना जायेगा कि इस प्रकार का कोई अंतरण नहीं हुआ है।

(3) इन नियमों में संदर्भित आवंटन का क्षेत्र एवं मापमान कमाण्ड भूमि के संदर्भ में हैं। जहां धारित या आवंटित भूमि का कोई क्षेत्र अनकमाण्ड भूमि [1][या उपनिवेशन क्षेत्र में बारानी भूमि] है, तो क्षेत्र की संगणना के प्रयोजनों के लिए ऐसी भूमि का दो बीघा कमाण्ड भूमि का एक बीघा माना जायेगा।

**16. आवंटन के निबंधन एवं शर्तें** – (1) इन नियमों के अधीन भूमि के सभी आवंटनों पर राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्तें, 1955 लागू होंगी।

[2][(1-क) जहां भूमि का आवंटन किसी विवाहित कृषक को किया जाता है, तो आवंटन पति एवं पत्नी के संयुक्त नाम में किया जायेगा तथा ऐसी दशा में वे संयुक्त आवंटी समझे जायेंगे।]

(2) इन नियमों के अधीन किये गये सभी आवंटन राजस्थान सरकार अनुदान अधिनियम, 1961 (1961 का राजस्थान अधिनियम सं. 20) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए होंगे।

(3) अधिनियम, राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्तें, 1955 एवं इन नियमों के अध्यधीन रहते हुए इन नियमों के अधीन किये गये सरकारी भूमि के सभी आवंटन स्थायी आधार पर होंगे और आवंटी अंततः ऐसी आवंटित भूमि में खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये जाने के लिए पात्र होंगे।

(4) आवंटी, कमाण्ड क्षेत्र में उसे आवंटित [3][ऐसी] भूमि का 25 प्रतिशत भाग को सिंचन के प्रथम वर्ष के दौरान सिंचित करने के लिए आबद्ध होगा बशर्ते कि भूमि की सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराया जाता है। इस शर्त को पूर्ण करने में उसके विफल रहने पर भूमि का आवंटन, आवंटन प्राधिकारी द्वारा रद्द किये जाने के लिए दायी होगा और आवंटन के रद्दकरण पर ऐसी भूमि विलंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार को वापिस हो जायेगी तथा आवंटी किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

---

1. अधिसूचना सं. एफ. 4(5) राजस्व/उपनि./82, दिनांक 08.11.1982 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. अधिसूचना सं. एफ. 4(17) उपनि./97, दिनांक 11.09.2002 द्वारा अन्तःस्थापित।
3. अधिसूचना सं. एफ. 4(15) उपनि./92, दिनांक 17.02.1997 द्वारा प्रतिस्थापित।

(5) आवंटी, सिंचित जल के अधिकतम उपयोग के लिए किये जाने वाले भूमि विकास कार्यों में पूर्ण सहयोग देने तथा किसी भी क्षति से भूमि को बचाने के लिए आबद्ध होगा और राज्य सरकार या सरकार द्वारा अनुमोदित या प्राधिकृत किसी अन्य अभिकरण द्वारा इस सम्बन्ध में किये गये अथवा किये जाने वाले किसी भी व्यय को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो उपनिवेशन आयुक्त द्वारा निश्चित की जायें, संदत्त करने के लिए भी दायी होगा।

[1][(6) यदि सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट यह रिपोर्ट करता है कि भूमि का कोई आवंटी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, तो भूमि का आवंटन, आवंटन प्राधिकारी द्वारा रद्द किये जाने के लिए दायी होगा और आवंटन के रद्दकरण पर भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार को प्रत्यावर्तित हो जायेगी तथा आवंटी किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा। जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट अन्तिम होगी एवं आवंटन प्राधिकारी उसे स्वीकार करने के लिए आबद्ध होगा।]

## टिप्पणी

नियम 16(6) – भूमि के आवंटन का निरस्तीकरण – आवंटन इस आधार पर रद्द किया कि प्रार्थिया राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त थी – जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट स्वयं विरोधाभासी है – मामले को पुनः निर्णित करना आवश्यक है – आदेश अपास्त किये व आयुक्त उपनिवेशन को मामला प्रतिप्रेषित किया। ***हाकिमा (श्रीमती) बनाम राजस्थान राज्य,*** 2005(1) DNJ (Raj.) 515.

नियम 16(6) – प्रार्थी के राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण आवंटन खारिज किया – जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट अन्तिम है तथा आवंटन प्राधिकारी इसे स्वीकार करने हेतु बाध्य हैं – प्रार्थी को सुनवाई का अवसर देने की आवश्यकता नहीं – प्रार्थी के विरूद्ध गम्भीर प्रकृति के चार दाण्डिक मामले संस्थित हुये – तथ्यों का निष्कर्ष – अभिनिर्णित, आवंटन सही खारिज किया। ***खेरी खान उर्फ खेरदीन बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य,*** 2010(2) DNJ (Raj.) 876 : 2010(2) RRT 1198.

नियम 16(6) व 23(2) – प्रार्थी के राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण आवंटन खारिज किया – जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट अन्तिम है तथा आवंटन प्राधिकारी इसे स्वीकार करने हेतु बाध्य हैं – प्रार्थी को सुनवाई का अवसर देने की आवश्यकता नहीं – प्रार्थी के विरूद्ध गम्भीर प्रकृति के चार दाण्डिक मामले संस्थित हुऐ – तथ्यों का निष्कर्ष – निर्णित, आवंटन सही खारिज किया। ***Khere Khan @ Kherdeen Vs. State of Rajasthan & Ors.*, 2010(2) DNJ (Raj.) 877 : 2010(2) RRT 1198**

**17. मूल्य का मापमान तथा संदाय का ढंग** – (1) इन नियमों के अधीन आवंटित सरकारी भूमि के लिए प्रत्येक मृदा वर्ग के लिए कलक्टर द्वारा यथा स्वीकृत मूल्य, आवंटी से निम्नलिखित मापमान से वसूल किया जायेगा :–

| [2][क्र.सं. | मृदा वर्ग | मूल्य प्रति मुरब्बा, 25 बीघा (6.32 हैक्टेयर) (रूपयों में) |
|---|---|---|
| (i) | | चरण-I के फेस-I एवं II के लिए |
| 1. | नाली | 5,00,000/- |
| 2. | नहरी | 4,00,000/- |
| 3. | अनकमाण्ड | 75,000/- |
| 4. | बारानी | 50,000/- |

1. अधिसूचना सं. एफ. 4(2) राजस्व/उपनि./92, दिनांक 12.03.1992 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं. एफ. 4(12) उपनि./98, दिनांक 24.04.2001 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ii) चरण-II के लिए

| | | |
|---|---|---|
| 1. | नाली | 1,50,000/- |
| 2. | लाइट लोम सैण्डी लोम | 1,00,000/- |
| 3. | अनकमाण्ड | 20,000/- |
| 4. | बारानी | 13,500/-] |

[1][परन्तु कहीं भी स्थित जोहड़ पायदन भूमि अथवा एक लाख या अधिक व्यक्तियों की जनसंख्या वाले नगर की परिधि से 12 कि.मी. अर्द्धव्यास के भीतर, या पचास हजार या अधिक लेकिन एक लाख से कम व्यक्तियों की जनसंख्या वाले कस्बे की परिधि से 8 किमी. अर्द्धव्यास के भीतर, या पच्चीस हजार या अधिक किन्तु पचास हजार से कम व्यक्तियों की जनसंख्या वाले कस्बे की परिधि से 3 कि.मी. अर्द्धव्यास के भीतर स्थित सरकारी भूमि, यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से भिन्न किसी भूमिहीन व्यक्ति को आवंटित की जाती है, तो प्रभारित किये जाने वाले मूल्य का मापमान सरकार द्वारा उस वर्ग की भूमि के लिए नियत आरक्षित मूल्य का चार गुना होगा, लेकिन अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के आवंटी के लिए मूल्य का मापमान ऊपर उल्लेखित आरक्षित मूल्य का दुगुना होगा।]

[2][परन्तु यह भी कि राज्य सरकार के साधारण या विनिर्दिष्ट निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए अस्थायी कृषि पट्टाधारक, जिन्हें राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के अधीन भूमि आवंटित की गयी है, [3][चाहे उन्होंने उक्त नियमों के अधीन खातेदारी अधिकार अर्जित किये हैं या नहीं,] ऐसे क्षेत्र के उपनिवेश के रूप में घोषित किये जाने के पश्चात् सामान्य आवंटन की आरक्षित कीमत के 20% का संदाय एक किश्त में करने पर इन नियमों के अधीन अधिकतम सीमा तक स्थायी आवंटन के लिए पात्र होंगे, परन्तु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग या गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से सम्बन्धित व्यक्तियों के मामले में वे सामान्य आवंटन की आरक्षित कीमत का 10% एक किश्त में संदत्त करेंगे।]

[4][(2) ऐसे मामलों में, जिनमें आवंटित भूमि के विकास की लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की गई हो, तो उस स्थिति में लागत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित की गयी दरों पर आवंटी द्वारा भूमि के मूल्य की किश्तों के संदेय होगी।]

[5][(3) उप-नियम (6) में विहित सभी वार्षिक किश्तें प्रतिवर्ष 15 अगस्त को या उससे पूर्व आवंटियों द्वारा निकटतम कोषागार या उप-कोषागार में संदत्त की जायेंगी, जिसमें विफल रहने पर बकाया किश्तों की राशि पर देय तारीख से संदाय की तारीख तक 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय होगा :

परन्तु यदि लगातार दो किश्तें असंदत्त रहेंगी, तो आवंटन प्राधिकारी के विवेकानुसार भूमि का आवंटन रद्दकरण के लिए दायी हो और आवंटन के रद्दकरण के ऐसे आदेश पर भूमि बिना किसी प्रतिकर के संदाय के राज्य सरकार को वापिस हो जायेगी

1. अधिसूचना सं. एफ. 4(10) राजस्व/उपनि./75 दिनांक 24.01.1981 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं. एफ. 4(2) उपनि./2005, दिनांक 28.05.2007 द्वारा जोड़ा गया।
3. अधिसूचना सं. एफ. 4(2) उपनि./2005, दिनांक 28.05.2007, द्वारा प्रतिस्थापित।
4. अधिसूचना सं. एफ. 4(10) राजस्व/उपनि./75 दिनांक 24.01.1981 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. अधिसूचना सं. एफ. 4(5) राजस्व/उपनि./81, दिनांक 19.08.1993 द्वारा प्रतिस्थापित।

तथा आवंटन प्राधिकारी इसे किसी अन्य पात्र व्यक्ति को आवंटित करने के लिए स्वतन्त्र होगा।]

(4) यदि आवंटन के पश्चात् किसी समय, अनकमाण्ड भूमि के रूप में आवंटित की गई कोई सरकारी भूमि कमाण्ड भूमि बन जाती है, तो उसके आवंटन के अधीन की प्रथम 25 बीघा कमाण्ड भूमि के लिए आवंटी ऊपर उल्लेखित दरों पर कमाण्ड भूमि का आरक्षित मूल्य राज्य सरकार को संदत्त करेगा, जिसमें से अनकमाण्ड भूमि के लिए उस द्वारा पहले से संदत्त किया गया मूल्य कम कर दिया जायेगा। तत्पश्चात् निःशेष कमाण्ड भूमि, यदि कोई हो, के लिए प्रचलित बाजार मूल्य, उसके द्वारा पहले से इसके सम्बन्ध में संदत्त किये गये मूल्य को कम करते हुए, संदत्त किया जायेगा।

(5) यदि कमाण्ड भूमि के रूप में आवंटित की गयी कोई भूमि, किसी पश्चात्वर्ती समय पर उसका मूल्य पूर्णतः संदत्त किये जाने से पूर्व, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनकमाण्ड भूमि घोषित कर दी जाये, तो कमाण्ड भूमि के रूप में संदत्त की गयी राशि अनकमाण्ड भूमि के रूप में, उसके लिए संदेय मूल्य या किश्तों में समायोजित कर दी जायेगी और यदि पूर्व में उससे अधिक राशि संदत्त की गयी हो, तो वह आवंटी को प्रतिसंदाय कर दी जायेगी।

[1][(6) आवंटी उसको आवंटित की गयी सरकारी भूमि के मूल्य का संदाय ऐसे वर्ष, जिसमें ऐसी भूमि के लिए सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता है, के प्रारंभ से या आवंटन की तारीख से दो वर्ष पश्चात् से, जो भी बाद में हो, निम्नलिखित वार्षिक किश्तों में करेगा :

[2][यदि भूमि अंशतः कमाण्ड एवं अंशतः अनकमाण्ड है, तो अनकमाण्ड भूमि की किश्तों का संदाय उसी रीति से किया जायेगा जिस रीति से कमाण्ड भूमि की किश्तों का किया जाता है] :–

| | |
|---|---|
| प्रथम वर्ष | कुल कीमत का 2 प्रतिशत |
| द्वितीय वर्ष | कुल कीमत का 3 प्रतिशत |
| तृतीय वर्ष | कुल कीमत का 4 प्रतिशत |
| चौथी वर्ष | कुल कीमत का 5 प्रतिशत |
| पांचवीं वर्ष | कुल कीमत का 6 प्रतिशत |
| छठी वर्ष | कुल कीमत का 8 प्रतिशत |
| सातवीं वर्ष | कुल कीमत का 8 प्रतिशत |
| आठवीं वर्ष | कुल कीमत का 8 प्रतिशत |
| नवीं वर्ष | कुल कीमत का 8 प्रतिशत |
| दसवीं वर्ष | कुल कीमत का 8 प्रतिशत |
| ग्यारहवीं वर्ष | कुल कीमत का 8 प्रतिशत |
| बारहवीं वर्ष | कुल कीमत का 8 प्रतिशत |

1. अधिसूचना सं. एफ. 4(8) राजस्व/उपनि./83, दिनांक 18.01.1985 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं. एफ. 4(2) राजस्व/उपनि./92, दिनांक 20.10.1993 द्वारा अन्तःस्थापित।

| | |
|---|---|
| तेरहवीं वर्ष | कुल कीमत का 8 प्रतिशत |
| चौदहवीं वर्ष | कुल कीमत का 8 प्रतिशत |
| पन्द्रहवीं वर्ष | कुल कीमत का 8 प्रतिशत |

परन्तु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का आवंटित किश्तों का संदाय निम्न प्रकार करेगा :-

| | |
|---|---|
| प्रथम वर्ष | कोई किश्त देय नहीं |
| द्वितीय वर्ष | कुल कीमत का 2 प्रतिशत |
| तृतीय वर्ष | कुल कीमत का 3 प्रतिशत |
| चौथी वर्ष | कुल कीमत का 4 प्रतिशत |
| पांचवीं वर्ष | कुल कीमत का 5 प्रतिशत |
| छठी वर्ष | कुल कीमत का 6 प्रतिशत |
| सातवीं वर्ष | कुल कीमत का 8 प्रतिशत |
| आठवीं वर्ष | कुल कीमत का 8 प्रतिशत |
| नवीं वर्ष | कुल कीमत का 8 प्रतिशत |
| दसवीं वर्ष | कुल कीमत का 8 प्रतिशत |
| ग्यारहवीं वर्ष | कुल कीमत का 8 प्रतिशत |
| बारहवीं वर्ष | कुल कीमत का 8 प्रतिशत |
| तेरहवीं वर्ष | कुल कीमत का 8 प्रतिशत |
| चौदहवीं वर्ष | कुल कीमत का 8 प्रतिशत |
| पन्द्रहवीं वर्ष | कुल कीमत का 8 प्रतिशत |
| सोलहवीं वर्ष | कुल कीमत का 8 प्रतिशत |

[1][(6-क) कहीं भी स्थित जोहड़ पायदन भूमि अथवा एक लाख या अधिक व्यक्तियों की जनसंख्या वाले नगर की परिधि से 12 कि.मी. अर्द्धव्यास के भीतर, या पचास हजार या अधिक लेकिन एक लाख से कम व्यक्तियों की जनसंख्या वाले कस्बे की परिधि से 8 कि.मी. अर्द्धव्यास के भीतर, या पच्चीस हजार या अधिक किन्तु पचास हजार से कम व्यक्तियों की जनसंख्या वाले कस्बे की परिधि से 3 कि.मी. अर्द्धव्यास के भीतर स्थित सरकारी भूमि का आवंटी, भूमि के मूल्य का 25 प्रतिशत आवंटन के समय और ऐसे मूल्य का 15 प्रतिशत आवंटन के एक वर्ष पश्चात् तथा निःशेष 60 प्रतिशत तीन समान वार्षिक किश्तों में जमा करायेगा, जिसकी प्रथम किश्त आवंटन की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति पर जमा करायी जायेगी।

परन्तु अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का आवंटी ऐसी भूमि का मूल्य दस समान वार्षिक किश्तों में जमा करायेगा। प्रथम किश्त आवंटन की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् जमा करायी जायेगी।]

(7) उप-नियम (6) में किसी बात के होते हुए भी, 1955 के पूर्व की शर्तों या 1955 के पश्चात् के नियमों के अधीन आवंटी द्वारा उस आवंटित भूमि का जमा कराया गया मूल्य

1. अधिसूचना सं. एफ. 4(8)राजस्व/उपनि./76, दिनांक 20.09.1978 द्वारा अन्तःस्थापित और अधिसूचना सं. एफ. 4(10) राजस्व/उपनि./75 दिनांक 24.01.1981 द्वारा प्रतिस्थापित।

या मूल्य की किश्तें, इन नियमों के अधीन उसे किये गये नवीन आवंटन के लिए उप-नियम (1) के अधीन संदेय मूल्य के विरूद्ध समायोजित की जायेंगी और मूल्य की बकाया राशि ही उक्त उप-नियम के अनुसार उससे वसूलनीय होगी। यदि उस द्वारा पहले से ही संदत्त मूल्य की राशि अधिक है, तो ऐसी अधिक राशि आवंटी को प्रतिसंदत्त कर दी जायेगी।

[1][(8) उप-नियम (6) में विहित सभी वार्षिक किश्तें आवंटियों द्वारा निकटतम कोषागार में प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त या उससे पूर्व संदत्त की जायेंगी, जिसमें विफल रहने पर बकाया किश्तों की राशि पर उनकी देय तारीख से संदाय की तारीख तक [2][12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज] देय होगा :

परन्तु यदि लगातार दो किश्तें असंदत्त रहने पर आवंटन प्राधिकारी के विवेकानुसार भूमि का आवंटन, [3][आवंटी को कारण दर्शित करने की 15 दिन की सूचना देने के पश्चात्] रद्दकरण के लिए दायी होगा और आवंटन के रद्दकरण के ऐसे आदेश पर भूमि बिना किसी प्रतिकर के संदाय के राज्य सरकार को वापिस हो जायेगी तथा आवंटन प्राधिकारी इसे किसी अन्य पात्र व्यक्ति को आवंटित करने के लिए स्वतन्त्र होगा।

[4][परन्तु यह कि जहां आवंटिती भूमि के मूल्य की किश्तें निक्षिप्त करने में विफल रहा हो, वहां यदि आवंटिती भूमि के बकाया मूल्य की असंदत्त राशि बिना किसी ब्याज के एकमुश्त 31.12.2013 तक जमा करा देता है, तो आवंटन प्राधिकारी द्वारा आवंटन को रद्द करने की कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी :

परन्तु यह और कि जहां भूमि के मूल्य की किश्तों के असंदाय के कारण भूमि का आवंटन रद्द कर दिया गया हो तथा भूमि किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित नहीं की गयी हो, वहां यदि आवंटिती भूमि के बकाया मूल्य की असंदत्त राशि बिना किसी ब्याज के एकमुश्त 31.12.2013 तक जमा करा देता है, तो आवंटन पुनर्स्थापित कर दिया जायेगा।]

(9) यदि कोई आवंटी उसे आवंटित भूमि का कुल मूल्य का संदाय प्रथम किश्त के देय होने से पूर्व एक मुश्त कर देता है, तो उसे मूल्य के 25 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

[5][परन्तु यह कि आवंटिती अपनी बकाया सभी या कुछ किश्तें उनके देय होने से कम से कम 12 माह पूर्व जमा करा देता है, तो अग्रिम में जमा की गयी ऐसी प्रत्येक किश्त पर 4% प्रतिवर्ष की दर से छूट देय होगी।]

(10) भूमि का आवंटन किये जाने के तुरन्त पश्चात्, आवंटन प्राधिकारी प्रत्येक आवंटी के लिए ऐसे खातों और अन्य लेखा रजिस्टरों का संधारण करेगा, जो उपनिवेशन आयुक्त द्वारा [6][निर्दिष्ट] किये जायें। उसके परिवेक्षण के अधीन, उपनिवेशन तहसीलदार ऐसी किश्तों के सम्बन्ध में, जो देय हों, एक मांग विवरण तैयार करेगा और उनकी वसूली के लिए तब तक कार्यवाही करेगा, जब तक कि आवंटी से आवंटित भूमि का पूर्ण मूल्य वसूल नहीं हो जाता। उपनिवेशन संक्रियाओं के समापन पर या उपनिवेशन आयुक्त के अनुदेशों पर ऐसे मांग विवरण, खाते एवं अन्य लेखा रजिस्टर सम्बन्धित राजस्व जिले के कलक्टर को अन्तरित कर दिये जायेंगे तथा उसके पश्चात् वार्षिक मांग विवरण तैयार

---

1. अधिसूचना सं. एफ. 4(5) राजस्व/उपनि./81, दिनांक 19.05.1992 द्वारा और पुनः अधिसूचना सं. एफ. 4(5) राजस्व/उपनि./81, दिनांक 19.08.1993 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं. एफ. 4(1) उपनि./2001, दिनांक 28.11.2004 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना सं. एफ. 4(5) राजस्व/उपनि./81, दिनांक 20.08.1993 द्वारा अन्तःस्थापित।
4. अधिसूचना सं. एफ. 14(8) उपनि./2009, दिनांक 29.05.2013 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. अधिसूचना सं. एफ. 4(11) उपनि./98, दिनांक 20.05.2009 द्वारा जोड़ा गया।
6. अधिसूचना सं. एफ. 4(15) उपनि./92, दिनांक 01.09.1995 द्वारा प्रतिस्थापित।

करने, खाते या अन्य लेखों का संधारण करने एवं आवंटियों से शेष किश्तें/बकाया/ब्याज एवं अन्य देय राशियां, जब भी देय हों, को वसूल करने का कार्य ऐसे कलक्टर का होगा।

(11) इन नियमों के अधीन आवंटी के विरूद्ध बकाया सभी देय राशियां भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलनीय होंगी।

**स्पष्टीकरण** – इन नियमों में प्रयुक्त पद "आवंटी" में, जहां आवंटी की मृत्यु हो गई हो, उसके वारिस, विधिक प्रतिनिधि एवं उत्तराधिकारी सम्मिलित हैं।

## टिप्पणी

कमाण्ड भूमि का आवंटन – भूमि को बाद में अनकमाण्ड भूमि के रूप में घोषित कर दिया गया – अभिनिर्धारित, आवंटी नियम 17(5) के अधीन यथाउपबन्धित मूल्य के समायोजन का हकदार है, लेकिन उसे कम हुई कमाण्ड भूमि के और आवंटन का अधिकार नहीं है। *सुरता राम बनाम राजस्थान राज्य,* 1990 (1) RLW 524 : 1990 (1) WLN 190 (DB).

असंदत्त किश्तें – ब्याज का प्रभारित किया जाना – अभिनिर्धारित, याचीगण विधि द्वारा यथाविहित 18% ब्याज का संदाय करने के लिए आबद्ध हैं। *माना राम एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य,* 2000(1) DNJ (Raj.) 415 : 2000 (3) RLR 100 : 2000 (1) WLN 328 : 2000(1) RRT 167 : 2000 WLC (Raj.) UC 423 : RLW 2000 (2) Raj. 1326 : 2000 RRJ 257 : 2000 RRD 472.

आवंटित भूमि का मूल्य – आवंटियों से राशि का 35% तत्काल तथा शेष तीन किश्तों में संदाय करने की अपेक्षा थी – संपूर्ण राशि की 15 दिनों में मांग – अभिनिर्धारित, प्राधिकारीगण समस्त राशि की 15 दिनों में मांग करने से विबंधित हैं। *मीरा (श्रीमती), बनाम राजस्थान राज्य,* 2000 WLC (Raj.) UC 675.

भूमि का आवंटन – आवंटी ने सम्पूर्ण राशि जमा करा दी तथा उसे 'सनद' भी जारी हो गयी – पुनः इस आधार पर अतिरिक्त प्रभारों की मांग की गयी कि भूमि 'जोहड़ पायतन' में थी – कोई साक्ष्य नहीं कि आवंटन के समय राजस्व अभिलेख में भूमि 'जोहड पायतन' के रूप में अभिलिखित थी – अभिनिर्धारित, मांग की सूचना अवैध है तथा अपास्त किये जाने योग्य है। *करणी सिंह बनाम राज्य एवं अन्य,* 2001 (2) RRT 1094.

महत्त्वपूर्ण तथ्य का छिपाया जाना – आवेदक संयुक्त कुटुम्ब का सदस्य था तथा उसने उस द्वारा अधिवासित भूमि के सम्बन्ध में सूचना जानबूझकर छिपायी – अभिनिर्धारित, वह किसी आवंटन का हकदार नहीं है। *देवा राम बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य,* 1992(1) RLW 370 (DB).

**18. नीलामी द्वारा विक्रय की सूचना का जारी किया जाना** – (1) आवंटन प्राधिकारी [1][सील बन्द बोली] द्वारा विक्रय की जाने वाली भूमि का पूर्ण विवरण, जैसे चक संख्या एस्क्वायर तथा किला संख्या तथा नीलामी की तारीख एवं स्थान देते हुए प्ररूप-XIII में सार्वजनिक सूचना जारी करेगा।

(2) सार्वजनिक सूचना आवंटन प्राधिकारी के कार्यालय के सूचना-पट्ट पर चिपकायी जायेगी तथा ऐसी सूचना की प्रतियां सम्बन्धित उपनिवेशन तहसील के सूचना-पट्ट पर तथा पंचायत, जिसमें भूमि स्थित है, के सूचना-पट्ट पर चिपकायी जायेंगी। सूचना की अंतर्वस्तुओं के बारे में उस परिक्षेत्र में, जिसमें नीलाम किये जाने के लिए प्रस्तावित भूमि स्थित है, उसकी प्रतियां ऐसी भूमि पर या उसके निकट किसी उपयुक्त स्थान पर या परिक्षेत्र में किसी अन्य सहज दृश्य स्थान पर चिपकायी जाकर [2][, मुनादी करा कर या परिक्षेत्र में

1. अधिसूचना सं. एफ. 4(19) उपनि./99, दिनांक 09.11.1999 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं. एफ. 4(3) उपनि./2009, दिनांक 20.09.2011 द्वारा प्रतिस्थापित।

व्यापक परिचालन रखने वाले किन्हीं दो समाचार-पत्रों में विज्ञापन देकर व्यापक जानकारी दी जायेगी।]

**19.** [1][**मुहरबन्द बोली] का संचालन करने वाला अधिकारी** – [2][इन नियमों के अधीन [3][मुहरबन्द बोली] द्वारा विक्रय राज्य सरकार द्वारा नियुक्त [4][मुहरबन्द बोली] समिति की सिफारिश पर उपनिवेशन आयुक्त द्वारा नियुक्त आवंटन प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।]

**20. विक्रय की शर्तें** – इन नियमों के अधीन विक्रय की निम्नलिखित शर्तें होंगी :–

(क) इन नियमों के अधीन विक्रय की गयी सभी भूमियां अधिनियम और राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेश) शर्तें, 1955 तथा इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन होंगी।

(ख) भूमि एक लॉट या कई लॉटों में या सूचना में दर्शाये गये लॉटों से भिन्न लॉटों में विक्रय की जा सकेगी और [5][मोहरबन्द बोली अधिकारी] बिना कोई कारण बताये किसी भी लॉट या किन्हीं लॉटों को विक्रय से वापस लेने में सक्षम होगा।

(ग) कोई भी भूमि, तब तक विक्रय के लिए नहीं रखी जायेगी, जब तक कि राज्य सरकार ने उसके लिए कोई आरक्षित मूल्य नियत नहीं कर दिया हो। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य या [6][मुहरबन्द बोली] में प्रस्तावित किया गया मूल्य, जो भी अधिक हो, विक्रय मूल्य होगा। राज्य सरकार विभिन्न प्रवर्गों की भूमि के आरक्षित मूल्य को समय-समय पर संशोधित करने का अधिकार स्वयं में आरक्षित करती है।

**स्पष्टीकरण** – जब तक राज्य सरकार आरक्षित मूल्य नियत नहीं कर देती, मूल्य का मापमान, जैसा कि नियम 17 में दिया गया है, को इस नियम के प्रयोजन के लिए आरक्षित मूल्य समझा जायेगा।

(घ) [7][किसी भी व्यक्ति को बोली लगाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित अन्य किसी निबंधन के अधीन रहते हुए नीलामी की तारीख से पूर्व की कम से कम दस वर्ष की अवधि से राजस्थान का सद्भाविक निवासी न रहा हो] तथा जब तक कि वह –

(i) भूमि के प्रत्येक खण्ड के कुल आरक्षित मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर अग्रिम धनराशि नकद जमा नहीं करता है। यह अग्रिम धनराशि [8][मुहरबन्द बोली] कार्यवाही की समाप्ति पर असफल बोली लगाने वाले को उस दिन स्थल पर ही प्रतिसंदत्त कर दी जायेगी,

---

1. अधिसूचना सं. एफ. 4(19) उपनि./99, दिनांक 09.11.1999 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं. एफ. 4(9) राजस्व/उपनि./87, दिनांक 03.09.1987 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना सं. एफ. 4(19) उपनि./99, दिनांक 09.11.1999 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. अधिसूचना सं. एफ. 4(19) उपनि./99, दिनांक 09.11.1999 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. अधिसूचना सं. एफ. 4(19) उपनि./99, दिनांक 09.11.1999 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. अधिसूचना सं. एफ. 4(19) उपनि./99, दिनांक 09.11.1999 द्वारा प्रतिस्थापित।
7. अधिसूचना सं. एफ. 4(9) राजस्व/उपनि./87, दिनांक 03.09.1987 द्वारा प्रतिस्थापित।
8. अधिसूचना सं. एफ. 4(19) उपनि./99, दिनांक 09.11.1999 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ii) [1][मुहरबन्द बोली] का संचालन करने वाले अधिकारी के समक्ष एक घोषणा हस्ताक्षरित नहीं करता है कि वह अपने स्वयं के नाम में या संयुक्त परिवार के किसी सदस्य के नाम में भारत में कहीं पर भी कोई भूमि धारित नहीं करता है, या यदि वह भूमि धारित करता है, तो पहले से धारित भूमि का और उस भूमि, जिसे वह नीलामी में क्रय करना चाहता है, का कुल क्षेत्र परिसीमित क्षेत्र से अधिक नहीं होगा।

(ङ) कोई भी व्यक्ति किसी [2][मुहरबन्द बोली] में अपनी बोली से नहीं मुकरेगा और यदि कोई विवाद उठता है, तो भूमि, अन्तिम अविवादित बोली से पुनः [3][मुहरबन्द बोली] की जायेगी।

(च) उच्चतम स्वीकार किये जाने योग्य प्रस्ताव उपनिवेशन आयुक्त को संसूचित किया जायेगा और विक्रय तब तक पूर्ण नहीं होगा, जब तक कि बोली उपनिवेशन आयुक्त द्वारा स्वीकार न कर ली जाये :

परन्तु उपनिवेशन आयुक्त, राज्य सरकार के उपनिवेशन विभाग के अनुमोदन के बिना ऐसी किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा जो आरक्षित मूल्य के ऊपर 15 प्रतिशत से कम हो।

(छ) राज्य सरकार का उपनिवेशन विभाग या उपनिवेशन आयुक्त, जैसी भी स्थिति हो, किसी भी बोली को उसके लिए बिना कोई कारण बताये नामंजूर करने या किन्हीं लॉटों या भूखण्डों को बिना कोई कारण बतलाये किसी भी समय [4][मुहरबन्द बोली] से वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखती है :

परन्तु किसी बोली के नामंजूर किये जाने की दशा में, उपनिवेशन आयुक्त खण्ड (ज) के अधीन जमा कराये गये क्रय मूल्य के [5][20%] को तथा अन्य किसी राशि, जो बोली लगाने वाले के द्वारा क्रय मूल्य के संदाय के रूप में जमा करायी गयी हो, को प्रतिसंदत्त करने का आदेश भी पारित करेगा।

[6][(ज) क्रय कीमत के 20 प्रतिशत के समतुल्य राशि, ऐसे बोली लगाने वाले को, जिसकी बोली की सिफारिश उपनिवेशन आयुक्त को की जानी है, बोली के समापन पर तुरन्त नकद जमा करानी होगी और शेष 80% रकम उसके द्वारा सीलबन्द बोली के अनुमोदन की तारीख से 12% ब्याज सहित चार अर्द्धवार्षिक किश्तों में जमा करायी जायेगी। भूमि का कब्जा आयुक्त द्वारा बोली के अनुमोदन के पश्चात् दिया जायेगा।]

(झ) यदि कोई क्रेता पूर्वगामी शर्तों में से किसी शर्त का अनुपालन या पालना करने में विफल रहता है, तो उसकी जमा राशि राज्य सरकार को समपहृत हो जायेगी तथा उपनिवेशन आयुक्त सार्वजनिक [7][मुहरबन्द बोली] द्वारा भूमि को पुनः विक्रय कर सकेगा और ऐसे पुनः विक्रय पर मूल्य में होने वाली कोई भी कमी, व्यतिक्रमी द्वारा पूरी की जायेगी और संदत्त की जायेगी।

1. अधिसूचना सं. एफ. 4(19) उपनि./99, दिनांक 09.11.1999 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना सं. एफ. 4(19) उपनि./99, दिनांक 09.11.1999 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना सं. एफ. 4(19) उपनि./99, दिनांक 09.11.1999 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. अधिसूचना सं. एफ. 4(19) उपनि./99, दिनांक 09.11.1999 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. अधिसूचना सं. एफ. 4(16) उपनि./99, दिनांक 29.02.2008 द्वारा प्रतिस्थापित।
6. अधिसूचना सं. एफ. 4(1) उपनि./2001, दिनांक 28.11.2004 द्वारा प्रतिस्थापित।
7. अधिसूचना सं. एफ. 4(19) उपनि./99, दिनांक 09.11.1999 द्वारा प्रतिस्थापित।

[1][परन्तु परन्तु यह कि जहां आवंटिती भूमि के मूल्य की किश्तें निक्षिप्त करने में विफल रहा हो, वहां यदि आवंटिती भूमि के बकाया मूल्य की असंदत्त राशि बिना किसी ब्याज के एकमुश्त 31.12.2013 तक जमा करा देता है, तो आवंटन प्राधिकारी द्वारा आवंटन को रद्द करने की कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी :

परन्तु यह और कि जहां भूमि के मूल्य की किश्तों के असंदाय के कारण भूमि का आवंटन रद्द कर दिया गया हो तथा भूमि किसी अन्य व्यक्ति को आवंटित नहीं की गयी हो, वहां यदि आवंटिती भूमि के बकाया मूल्य की असंदत्त राशि बिना किसी ब्याज के एकमुश्त 31.12.2013 तक जमा करा देता है, तो आवंटन पुनर्स्थापित कर दिया जायेगा।]

(ञ) यदि किसी भी समय यह मालूम हो कि खण्ड (ख) के उप-खण्ड (ii) में संदर्भित उद्घोषणा मिथ्या है या क्रेता भूमि पर स्वयं काश्त करने में विफल रहता है, तो विक्रय की गई समस्त भूमि किसी प्रतिकर का संदाय किये बिना राज्य सरकार द्वारा पुनर्ग्रहीत की जा सकेगी।

[2][(ट) यदि अन-कमाण्ड/बारानी भूमि के रूप में विक्रीत कोई भी सरकारी भूमि किसी भी समय कमाण्ड भूमि हो जाती है, तो क्रेता या यथास्थिति, भूमि पर कब्जा रखने वाले पश्चात्वर्ती अन्तरितियों को सम्मिलित करते हुए उसका अन्तरिती राज्य सरकार को उसी मुरब्बा/चक की अनकमाण्ड/बारानी भूमि के विक्रय के समय राज्य सरकार द्वारा कमाण्ड भूमि की अधिसूचित कीमत और यदि, उसी मुरब्बा/चक में कमाण्ड भूमि की कीमत नहीं की गई है, तो निकटस्थ मुरब्बा/चक में की कमाण्ड भूमि की कीमत या अनकमाण्ड भूमि के विक्रय के समय खुली नीलामी में प्रस्तावित कीमत, इसमें से जो भी अधिक हो, कमाण्ड भूमि के विक्रय की तारीख से और कमाण्ड भूमि की अन्तर राशि के संदाय की तारीख तक 12% प्रतिवर्ष ब्याज के साथ, उस कीमत को घटाकर जो वह अनकमाण्ड/बारानी भूमि के लिए पहले संदत्त कर चुका है, का संदाय करेगा।]

## टिप्पणी

नियम 20(छ) – उपनिवेशन आयुक्त के आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण – अभिनिर्धारित, नियम 20(छ) के अधीन उपनिवेशन आयुक्त कोई कारण उल्लेखित किये बिना किसी भी आवंटन को रद्द करने के लिए पूर्णतः अधिकृत है – उपनिवेशन आयुक्त के आदेश की पुष्टि की गयी। ***रामचन्द्र बनाम राजस्थान राज्य,*** 2002 RRD 475 एवं ***सरिता देवी बनाम राजस्थान राज्य,*** 2001 RRD 138 : 2001 RBJ 217 : 2001 (1) RRT 404.

भूमि का आवंटन – आवंटी विहित समय के भीतर प्रथम किश्त जमा कराने में विफल रहा – भूमि का कब्जा नहीं लिया गया – आवंटन की शर्तों का उल्लंघन – अभिनिर्धारित, समय के व्यतीत हो जाने से आवंटन स्वतः ही रद्द हो चुका है। *दयाल सिंह बनाम राजस्थान राज्य,* **1980 RRD (NUC) 39.**

**21. आवंटन का रद्दकरण** – यदि किसी समय यह मालूम हो कि इन नियमों के अधीन किया गया सरकारी भूमि का आवंटन, आवंटी द्वारा पेश किये गये आवेदन में या शपथ-पत्र में या किसी अन्य दस्तावेज में दिये गये तथ्यों के गलत विवरण पर हुआ है, तो आवंटन

---

1. अधिसूचना सं. एफ. 14(8) उपनि./2009, दिनांक 29.05.2013 द्वारा जोड़ा गया।
2. अधिसूचना सं. एफ. 4(19) उपनि./1999, दिनांक 28.04.2007 द्वारा जोड़ा गया।

प्राधिकारी ऐसे आवंटन को रद्द करने का आदेश दे सकेगा और किसी प्रतिकर का संदाय किये बिना भूमि में पुनः प्रवेश करने तथा उसका कब्जा लेने का कोई भी आदेश दे सकेगा। [1][और पहले से संदत्त की गयी किश्तों की राशि समपहृत की जायेगी] :

परन्तु ऐसा कोई आदेश, उससे प्रभावित होने वाले व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जायेगा।

## टिप्पणी

आवंटन का रद्दकरण – याची ने यह तथ्य कि उसके आधिपत्य में 14 बीघा भूमि है, छिपाते हुए आवंटन प्राप्त किया – आवंटित भूमि उस द्वारा व्यक्तिशः काश्त भी नहीं की गयी – उपर्युक्त कमियों के कारण उसका आवंटन रद्द कर दिया गया – अभिनिर्धारित, याची 'भूमिहीन व्यक्ति' की परिभाषा में नहीं आता है – किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। *मंगला राम बनाम राजस्व मण्डल,* 1997(1) DNJ (Raj.) 355 : 1997 (2) RLW 829.

जहां तथ्यों के असत्य कथन के आधार पर सरकारी भूमि का आवंटन किया गया – क्या तथ्यों का छिपाया जाना जानबूझकर किया गया था या नहीं – यह महत्त्वहीन है – याची तथ्यों को छिपाने का दोषी है – अभिनिर्धारित, इन परिस्थितियों में उसका आवंटन सही रूप से रद्द किया गया था। *बिशना राम बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य,* 1993 (2) RLW 726 (DB).

पिता के खाते में की भूमि – प्रकट करने का आवेदक का कर्त्तव्य – अभिनिर्धारित, पिता के खाते में की भूमि को प्रकट करने का आवेदक का कर्त्तव्य ऐसी भूमि के पैतृक होने पर निर्भर करता है, अन्यथा नहीं। *बैशाखा राम बनाम राजस्थान राज्य,* 1993 RRD 142.

आवेदक 60 बीघा भूमि के आधिपत्य में था, जबकि आवेदन में यह कथन किया गया कि वह केवल 5 बीघा भूमि के कब्जे में है – अभिनिर्धारित, यह एक गलत कथन है – आवंटन का रद्दकरण न्यायसंगत है। *सालिया बनाम राजस्थान राज्य,* 1992 RRD 273.

छल एवं मिथ्या व्यपदेशन के द्वारा आवंटन प्राप्त किया गया – याची न तो ग्राम में रहता था तथा न ही आवंटन के पश्चात् वह भूमि के आधिपत्य में रहा – अभिनिर्धारित, याची को किया गया आवंटन सही रूप से रद्द किया गया है। *शिव रतन बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य,* 2001 RRD 213 : 2001 RBJ 308 : 2001 (1) RRT 463.

याची ने तथ्यों को छिपाते हुए आवंटन अभिप्राप्त किये – प्रथम आवंटन के समय उसने जलदाय विभाग में अपनी नौकरी के तथ्य को छिपाया – द्वितीय आवंटन के समय उसने प्रथम आवंटन के तथ्य को प्रकट नहीं किया – अभिनिर्धारित, आवंटन प्राधिकारी नियम 21 के अधीन ऐसे आवंटनों को रद्द करने में सक्षम है – दोनों ही आवंटनों के रद्दकरण के आदेश न्यायसंगत हैं। *रूढा राम उर्फ रूढ सिंह बनाम राजस्थान राज्य,* 2002 RRD 275.

आवंटन 25 वर्ष पूर्व किया गया था – उसका इस आधार पर रद्दकरण कि आवंटन के समय शाला प्रमाण-पत्र के अनुसार आवंटी अवयस्क था – अभिनिर्धारित, 25 वर्षों के पश्चात् आवंटन का रद्दकरण न्यायसंगत नहीं है, विशेषकर तब जन्मपत्री एवं पिता के कथन के अनुसार आवंटी आवंटन के समय वयस्क था। *नागा राम बनाम राजस्थान राज्य,* 2001 RRD 206.

16 वर्षों के पश्चात् आवंटन रद्द किया गया – तथ्यों का प्रकट नहीं किया जाना मिथ्या व्यपदेशन नहीं हो सकता – अभिनिर्धारित, एक अयुक्तियुक्त अविलम्ब के पश्चात् आवंटन का रद्द किया जाना न्यायसंगत नहीं है। *जसराज बनाम राजस्व मण्डल,* 1999(2) DNJ (Raj.) 509.

---

1. अधिसूचना सं. एफ. 4(15) उपनि./92, दिनांक 17.02.1997 द्वारा जोड़ा गया।

[1][21-क. अतिचारियों के कतिपय मामलों का नियमितिकरण – (1) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी और सरकार के विशेष या साधारण निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए, आवंटन प्राधिकारी, सलाहकार समिति की सलाह पर किसी अतिचारी को उसके द्वारा अधिमुक्त भूमि से बेदखल करने के बजाय उसे राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 (1973 का राजस्थान अधिनियम सं. 2) के अधीन आवंटिती पर लागू अधिकतम सीमा क्षेत्र के अध्यधीन रहते हुए सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग पर कब्जा बनाये रखना अनुज्ञात कर सकेगा :

[2][परन्तु ऐसे अतिचारी का 01.01.2000 से पूर्ववर्ती सात वर्षों के दौरान न्यूनतम पांच वर्ष तक अतिचारित भूमि पर कब्जा रहा है और 01.01.2000 से अभी तक लगातार कब्जा रहा है।]

(2) उप-नियम (1) में उपदर्शित रीति से नियमितीकरण होने पर, अतिचारी को इन नियमों के अधीन इस प्रकार नियमित भूमि आवंटित की हुई समझी जायेगी और वे इन नियमों में विहित निबन्धनों और शर्तों द्वारा शासित होंगे।

(3) ऐसा अतिचारी नियमितीकरण होने पर, जिला स्तरीय समिति (जि.स्त.स.) दर पर कीमत का संदाय करने के लिए आबद्ध होगा।

(4) उप-नियम (3) के अधीन इस प्रकार नियत कीमत अतिचारी द्वारा चार वार्षिक किश्तों में संदत्त की जायेगी। अतिचारी द्वारा प्रस्तुत कागज-पत्रों की संवीक्षा करने के पश्चात्, यदि यह पाया जाता है कि मामला नियमितीकरण के लिए उपयुक्त है, तो उक्त अतिचारी को निर्धारित रकम उपदर्शित करते हुए एक नोटिस दिया जायेगा और उक्त अतिचारी, नोटिस की तामील होने के पश्चात् 15 दिन के भीतर प्रथम किश्त जमा करायेगा और जैसे ही प्रथम किश्त का संदाय कर दिया जाये, सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमितीकरण के आदेश जारी किये जायेंगे। पश्चात्वर्ती किश्त प्रतिवर्ष 15 जुलाई को या उससे पूर्व संदेय होगी।

(5) इस प्रकार नियत भूमि की कीमत नियमितीकरण के आदेश की तारीख से शोध्य हुई समझी जायेगी और वह किश्त, जो संदाय के लिए शोध्य हो गयी है, पर 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज संदेय होगा।

(6) ब्याज, यदि कोई हो, सहित सभी किश्तें निकटतम कोषागार या उप-कोषागार में संदत्त की जायेंगी।

(7) आवंटितियों को छूट की निम्नलिखित दरें अनुज्ञात होंगी :–

| आवंटन के समय सम्पूर्ण कीमत के एकमुश्त संदाय के लिए | अ.जा./अ.ज.जा. के व्यक्ति ए.ग्रा.वि.का. का हिताधिकारी/विस्थापित कृषक/विस्थापित भूमिहीन कृषक/निर्मुक्त सागड़ी | अन्य |
|---|---|---|
| | 15% | 10% |

[3][(8) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी वह कृषि सहकारी सोसाइटी, जिसे भूमि आवंटित की गई थी और उक्त सोसाइटी ने उस भूमि का भाग अपने

1. अधिसूचना सं. एफ. 4(16) उपनि./99, दिनांक 26.11.2004 द्वारा जोड़ा गया।
2. अधिसूचना सं. एफ. 4(16) उपनि./99, दिनांक 11.01.2008 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना सं. एफ. 4(2) उपनि./2007, दिनांक 04.08.2008 द्वारा प्रतिस्थापित।

सदस्यों को खेती करने के लिए दे दिया था और उक्त भूमि राजस्थान (सहकारी सोसाइटियों को भूमि का आवंटन) नियम, 1959 के अधीन पुनर्ग्रहण कर ली गई है या ऐसे सदस्य या उसके उत्तराधिकारी, जिसने 1959 के उक्त नियमों के नियम 5 के उप-नियम (7) के अतिक्रमण में गैर-खातेदारी या खातेदारी अधिकार प्राप्त किये थे, द्वारा स्वेच्छा से अभ्यर्पित की गई है, यदि ऐसा सदस्य, इन संशोधन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को या उससे पूर्व ऐसी सहकारी समिति का सदस्य था और ऐसा सम्बन्धित रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाता है और ऐसा सदस्य या उसका उत्तराधिकारी सद्भावी कृषक है और व्यक्तिगत रूप से उक्त भूमि पर निरन्तर खेती कर रहा है, तो आवटन प्राधिकारी, सलाहकार समिति की सलाह पर उसे बेदखल करने की बजाय उस सम्पूर्ण भूमि या उसके भाग को अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की दशा में आरक्षित मूल्य का पच्चीस प्रतिशत और अन्य की दशा में आरक्षित मूल्य का पचास प्रतिशत, पूर्व में निक्षिप्त रकम, यदि कोई हो, को घटाते हुए, संदाय करने पर आवंटित कर सकेगा।]

[1][(9) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे काश्तकार, जिन्होंने राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 12 के उपबन्धों के अनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये थे और उक्त धारा 1954 के अधिनियम सं. 13 के द्वारा 18 फरवरी, 1952 से लोपित कर दी गयी थी और यदि ऐसे काश्तकार या उनके उत्तराधिकारी या उनके अन्तरिती भूमिहीन व्यक्ति हैं तथा निरन्तर कब्जे में हैं और उक्त भूमि पर व्यक्तिशः काश्त या खेती कर रहे हैं, तो आवटन प्राधिकारी, सलाहकार समिति की सलाह पर उसे बेदखल करने की बजाय उस सम्पूर्ण भूमि या उसके भाग को अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की दशा में आरक्षित मूल्य का पच्चीस प्रतिशत और अन्य की दशा में आरक्षित मूल्य का पचास प्रतिशत, पूर्व में निक्षिप्त रकम, यदि कोई हो, को घटाते हुए, समायोजित करते हुए संदाय करने पर आवंटित कर सकेगा।]

**22. उपनिवेशन अधिकारियों की शक्तियां –** (1) उपनिवेशन आयुक्त, आवंटन प्राधिकारी एवं उपनिवेशन तहसीलदार इन नियमों द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा इन नियमों के अधीन समनुदेशित कृत्यों का पालन करेंगे।

(2) उपनिवेशन आयुक्त को उसके अधीन सभी उपनिवेशन अधिकारियों को भूमि के आवंटन से सम्बन्धित अभिलेखों को तैयार करने के लिए प्रक्रिया विहित करने तथा इन नियमों के प्रयोजनों को सम्पन्न करने के लिए अनुदेश जारी करने की शक्तियां होंगी।

(3) उपनिवेशन आयुक्त को आवंटन प्राधिकारी द्वारा इन नियमों के अधीन किये गये किसी भी आवंटन को या तो स्वयं के विवेक से या किसी अन्य के आवेदन पर रद्द करने की शक्तियां होंगी, जहां आवंटन नियमों के विरूद्ध किया गया हो :

परन्तु यह कि किसी व्यक्ति को प्रभावित करने वाला ऐसा कोई आदेश, ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का कोई अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जायेगा।

## टिप्पणी

नियम 2(viii) एवं 22(3) – आवंटन के समय याची राजकीय सेवा में था तथा एक अध्यापक था – 1982 के संशोधन से पूर्व आवंटन वर्जित नहीं था – रेस्पोंडेन्ट ने 1982 में आवंटन रद्द किया – पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन याचिका भी नामंजूर हो गई – याची भूमि के भौतिक एवं

1. अधिसूचना सं. एफ. 4(4) उपनि./04, दिनांक 03.10.2008 द्वारा जोड़ा गया।

स्पर्धी दावों पर विचार किये बिना किया गया आवंटन प्रत्यक्षतः अवैध था – निर्णित, आदेश किसी शिथिलता या क्षेत्राधिकारिता की त्रुटि से ग्रसित नहीं है। ***Buggi Devi (Smt.) Vs. Board of Revenue & Ors.,*** **2010(1) DNJ (Raj.) 280** : 2010(2) WLC (Raj.) 38 : 2010(2) CDR 973 (Raj.) : 2010 RBJ 260 : 2010(1) RRT 356 : 2010(2) WLN 273 (Raj.)

**23. अपील और पुनरीक्षण** – (1) आवंटन प्राधिकारी द्वारा पारित किये गये किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर उपनिवेशन आयुक्त को अपील कर सकेगा।

(2) उपनिवेशन आयुक्त के किसी [1][अंतिम आदेश] जो चाहे अपील में पारित किया गया हो या अन्यथा, से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर राजस्व मण्डल, राजस्थान को पुनरीक्षण फाइल कर सकेगा।

## टिप्पणी

अतिरिक्त आयुक्त, उपनिवेशन द्वारा आवंटन प्राधिकारी के रूप में कार्य करते समय अपील योग्य आदेश पारित किया गया – आयुक्त, उपनिवेशन की अपील सुनने की शक्तियां भी अतिरिक्त आयुक्त को प्रत्यायोजित की हुई थी – क्या आयुक्त अपील सुनने में सक्षम है – अभिनिर्धारित, हां। मात्र इस आधार पर कि उसकी अपील सुनने की शक्तियां अतिरिक्त आयुक्त को प्रत्यायोजित की हुई थी, वह अपील की सुनवाई करने से वंचित नहीं है। *जरनैल सिंह बनाम राजस्थान राज्य,* 1998 RRC 649.

अपील का उपचार उपलब्ध – अभिनिर्धारित, व्यथित पक्षकार को पहले उसे प्राप्त करना चाहिए तथा केवल तभी पुनरीक्षण पोषणीय है। *मामदीन बनाम सुल्तान,* 1975 RRD 238.

अपील में स्थगन आदेश को समाप्त करते हुए आदेश पारित किया गया – उसके विरूद्ध पुनरीक्षण – अभिनिर्धारित, अन्तर्वर्ती आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण पोषणीय नहीं है। *आत्मा सिंह बनाम राज्य,* 1983 RRD 415.

स्थायी आधार पर 1975 में भूमि का आवंटन – 1991 में खातेदारी अधिकार प्रदत्त कर दिये गये – आवंटी ने पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा 1992 में भूमि विक्रय कर दी – क्रेता के पक्ष में नामान्तकरण मंजूर कर दिया गया तथा वह भूमि को काश्त कर रहा है – अभिनिर्धारित, क्रेता को सुने बिना आवंटन का रद्दकरण अवैध है। *गुलाम हैदर बनाम नारायण सिंह एवं अन्य,* 2001 RRD 238.

कलक्टर के आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण – भूमि का आवंटन तहसीलदार की इस रिपोर्ट कि भूमि वन भूमि के रूप में अभिलिखित है, कलक्टर द्वारा रद्द कर दिया गया – आवंटी ने आवश्यक किश्तें जमा करा दी थीं तथा भूमि का सुधार किया था – अभिनिर्धारित, आवंटी का कोई दोष नहीं था और इसलिए वैकल्पिक भूमि का उसको आवंटन किये जाने तक उसे बेदखल नहीं किया जाना चाहिए। *इन्द्राज बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य,* 2003 RRD 499.

उपनिवेशन आयुक्त के आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण – आवंटन राशि का 35% जमा कराने से पूर्व आवंटी की मृत्यु हो गयी – तत्पश्चात् उसकी पत्नी ने राशि जमा करायी तथा उसके पक्ष में नया आवंटन आदेश जारी कर दिया गया – उपनिवेशन आयुक्त ने इस आधार पर कि मूल आवंटी ने आवंटन राशि जमा नहीं करायी थी, आवंटन रद्द कर दिया – अभिनिर्धारित, आवंटन प्राधिकारी ने मृतक के उत्तराधिकारियों तथा क्या वे भूमिहीन व्यक्ति हैं या नहीं, के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की है – ऐसी जांच के बिना केवल पत्नी के पक्ष में आवंटन नहीं किया जा सकता – मामला कतिपय अनुदेशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया। *श्रीमती कमला बनाम राजस्थान राज्य,* 2003 RRD 91.

नियम 23(2) – राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 – धारा 15-क – 60 वर्ष बाद आवंटन का निरस्त करना – वैधता – अस्थायी काश्त हेतु पट्टा न तो फर्जी पाया न निरस्त हुआ

---

1. अधिसूचना सं. एफ. 4(10) राजस्व/उपनि./75, दिनांक 29.12.1980 द्वारा प्रतिस्थापित।

राजस्व अपील प्राधिकारी का आदेश न्यायोचित है तथा 'जे' के पक्ष में आवंटन आदेश सही अपास्त किया। *Jaspalsingh Vs. Kanaram & Anr.*, 2009 RRD 792

नियम 23(2) – अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी को माफ किया – निगरानी – आदेश में अवैधता नहीं है – निगरानी खारिज की। ***Kishanlal Vs. Rup Kumar & Anr.***, 2009 RRD 733 : 2009(2) RRT 1322

नियम 23(2) – आवंटन आदेश 21.4.1994 के विरूद्ध 13 वर्ष बाद निगरानी पेश की – मियाद के आधार पर बोर्ड ने निगरानी खारिज की – रेस्पोण्डेण्ट ने स्पष्ट रूप से कथन किया कि उन्हें भूमि 21.4.1994 को आवंटित की थी – आवंटन का तथ्य प्रार्थी की जानकारी में था – विलम्ब के लिये स्पष्टीकरण नहीं – निर्णित, रिट याचिका व निगरानी सही खारिज किये। ***Pratap Singh Vs. Board of Revenue [D.B.]***, **2011(1) DNJ (Raj.) 73** : 2010(3) WLN 1 (Raj.)

नियम 23(2) – आवंटन आदेश 21.4.1994 के विरूद्ध 13 वर्ष बाद निगरानी पेश की – मियाद के आधार पर बोर्ड ने निगरानी खारिज की – रेस्पोण्डेण्ट ने स्पष्ट रूप से कथन किया कि उन्हें भूमि 21.4.1994 को आवंटित की थी – आवंटन का तथ्य प्रार्थी की जानकारी में था – विलम्ब के लिये स्पष्टीकरण नहीं – निर्णित, रिट याचिका व निगरानी सही खारिज किये। ***Pratap Singh Vs. Board of Revenue [D.B.]***, **2011(1) DNJ (Raj.) 73**

नियम 23(2) – आवंटन बहाल रखा – अपील स्वीकार की और प्रकरणएस.डी.ओ. को रिमाण्ड किया – राजस्व अपील प्राधिकारी ने 'आर' की रिव्यू याचिका स्वीकार की – निगरानी – द्वितीय अपील का प्रावधान नहीं है – निगरानी पोषणीय है – आवंटन कपट द्वारा अथवा तथ्य छिपाकर प्राप्त नहीं किया – आवंटन 35 वर्ष पूर्व किया – आवंटन विधि के प्रतिकूल नहीं किया – निर्णीत, निगरानी खारिज की। ***State of Rajasthan Vs. Rameshwar Lal***, 2012 RRD 713

नियम 23(2) – निगरानियों को पेश करने में 89 दिनों का विलम्ब – विलम्ब के लिये स्पष्टीकरण नहीं तथा विलम्ब शमन हेतु प्रार्थना नहीं की – निर्णीत, निगरानियां कालबाधित है व खारिज की। ***Ranjeet Singh Rajput Vs. State of Rajasthan Thro' Deputy Colonisation Commissioner, Jaisalmer***, 2012 RBJ 372

[1][23-क. कोई व्यक्ति जिसके विरूद्ध भूमि के उसके आवंटन को रद्द किये जाने का आदेश पारित किया गया है अथवा जिसका भूमि आवंटन के लिए आवेदन आवंटन प्राधिकारी द्वारा नामंजूर कर दिया गया है और आवटंन प्राधिकारी के ऐसे आदेश या विनिश्चय की पुष्टि प्रथम अपील में कर दी गयी है और यदि वह कोई द्वितीय अपील या कोई पुनरीक्षण करता है, तो वह ऐसी भूमि के आरक्षित मूल्य का 25 प्रतिशत प्रतिभूति के रूप में सरकारी कोषागार में जमा करायेगा और कोषागार चालान की प्रति अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के ज्ञापन के साथ प्रस्तुत करेगा। उसके इस प्रकार जमा कराने में असफल रहने पर द्वितीय अपील या पुनरीक्षण पुनर्विलोकन ग्रहण नहीं किया जायेगा।]

**24. विशेष मामलों में सरकारी भूमि का आवंटन** – (1) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार किसी भी व्यक्ति को विशेष मामले के रूप में आवंटन कर सकेगी:

[2][परन्तु सरकार इस नियम के अधीन किसी भी मामले या मामलों के वर्ग में आवंटन की शक्तियां, ऐसे निबंधनों एवं शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो इस निमित्त विहित की जायें, उपनिवेशन आयुक्त या कलक्टर या किसी अन्य विहित प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगी।]

---

1 अधिसूचना सं. एफ. 4(24) राजस्व/उपनि./82, दिनांक 24.01.1984 द्वारा अन्तःस्थापित तथा अधिसूचना सं. एफ. 4(24) राजस्व/उपनि./82, दिनांक 18.01.1985 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. अधिसूचना सं. एफ. 18(3) राजस्व/उपनि./77, दिनांक 07.02.1981 द्वारा जोड़ा गया।

[1][(2) [2][यदि कोई सरकारी भूमि] जो [3][21 जनवरी, 1992 को या उसके बाद] अनकमाण्ड/बारानी भूमि के रूप में आवंटित की गयी थी, बाद में कमाण्ड भूमि बन जाती है, तो आवंटी या उसका अन्तरिती जिसने भूमि पर काबिज पश्चात्‌वर्ती अन्तरिती भी शामिल है, जैसी भी स्थिति हो, अनकमाण्ड/बारानी के प्रारंभिक आवंटन के समय इस नियम के अधीन कमाण्ड भूमि का नियत मूल्य, प्रारंभिक आवंटन की तारीख से भूमि के कमाण्ड भूमि बनने तक 15 प्रतिशत वार्षिक बढ़ाते हुए राज्य सरकार को संदाय करेगा, जिसमें से ऐसा मूल्य, जो उसने अनकमाण्ड/बारानी भूमि के लिए पहले ही संदत्त कर दिया है, कम किया जायेगा।]

## टिप्पणी

गोलीबारी अभ्यास क्षेत्र की स्थापना के कारण ग्राम के निवासियों को हटाकर अन्यत्र बसाया गया – आवंटित भूमि बारानी थी – बाद में यह आवंटित भूमि कमाण्ड क्षेत्र का भाग बन गयी – बारानी भूमि हेतु वसूल किये गये मूल्य तथा कमाण्ड क्षेत्र के मूल्य के अन्तर की मांग की गयी – नियम 17(4) के अधीन अधिसूचना जारी हुई थी, लेकिन यह वर्तमान मामले में लागू नहीं होती थी – जब मांग की गयी नियम 24 का उप-नियम (2) विधायन पुस्तिका में नहीं था – अभिनिर्धारित, एकल न्यायाधीश मांग को अपास्त करने में सही था। ***राजस्थान राज्य एवं अन्य बनाम हजारी राम,*** 1997(1) DNJ (Raj.) 364. (DB).

---

## प्ररूप-I

*[देखिये नियम 8(3)]*

## आवंटन के लिए सरकारी भूमि की सूची

उपनिवेशन तहसील का नाम ..........................................................

| क्रम सं. | चक/ग्राम का नाम | एस्क्वायर सं./क्षेत्र का विवरण (बीघों में) | | | मृदा वर्ग | अभ्युक्तियां |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | किला सं. कमाण्ड भूमि | किला सं. अनकमाण्ड भूमि | क्षेत्र का योग | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

आवंटन प्राधिकारी के हस्ताक्षर

---

1. अधिसूचना सं. एफ. 3(92) राजस्व/उपनि./91, दिनांक 21.01.1992 द्वारा जोड़ा गया।
2. अधिसूचना सं. एफ. 4(3) उपनि./2009, दिनांक 13.07.2009 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना सं. एफ. 4(3) उपनि./2009, दिनांक 13.07.2009 द्वारा प्रतिस्थापित।